



tte of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] No. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1981/माषाढ़, 13, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1981/ASHADHA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (i) PART II — Section 3 — Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों ग्रौर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय ग्रिधिकारियों द्वारा विधि के ग्रन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम ग्रादि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जुन 1981

सा० का० नि० 611:--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह व पद) भर्ती नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह घषद), भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।
- (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें। विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1975 में नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, श्रथीत्:---

"4. क. चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने का दायित्व: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी इन नियमों के अक्षीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होमगार्ड के रूप में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा;

परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमादेष्टा, होसगार्ड, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके ऐसी अवधि को घटा कर दो वर्ष कर सकेगा।"

[फा॰ सं॰-ए-12018(1)/75 प्रशा॰ II (वि॰ का॰)] एच. जी. मंडल, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th June, 1981

G.S.R 611.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment Rules, 1975, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Law,
 Justice and Company Affairs, Department of Legal
 Affairs and Legislative Department (Group, D posts)
 Recruitment (Amendment) Rules, 1980.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(1517)+156子內五

343 GI/81—J

2. In the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Department of Legal Affairs and Legislative Department (Group D posts) Recruitment Rules, 1975 for rule 4A, the following rule shall be substituted, namely:—

"4A Liability of persons appointed as Peons to undergo training: as Home Guards.—Notwithstanding anything contained in these rules, every person appoint ed as a Peon under these rules shall undergo training as a Home Guard for a period of three years;

Provided that the Commandant General Home Guards, may having regard to the Performance of and standard of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years for reasons to be recorded in writing."

[F. No. A-12018(1)/75-Adm.II(LA)] H. G. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जून, 1981

साः काः नि. 612. - पूर्व विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 10 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केवल 59,700/- रुपये (उनसठ हजार सात सौ रुपये) की अत्यक्ष कीमत के पिष्टम बंगाल ऋण की 53/4 प्रतिशत को जो मूसा बोर्ड के ज्यूड्ल पूर्व विन्यास विधि की और से भारत के कोषाध्यक्ष के पास है, पंचवर्षीय डाकखाना सावधि संचित योजना उनमें उसकी विकी आय के पुनः निर्देश के लिए समय से पहले बिकी के लिए निर्देश करती है।

[सं. 1/1/81-न्याधिक] हैं के. एल. ग्ररोड़ा, उप सचिव

New Delhi the 18th June, 1981

G.S.R. 612.—In pursuance of section 10 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) the Central Government hereby directs premature sale of 5 3|4 per cent West Bengal Loan, 1983 of the face value of Rs. 59,700 (Rupees Fifty nine thousand and seven hundred) only held by the Treasurer of Charitable Endowments for India on behalf of the Jewish Charitable Endowment Fund of the Musz Board for reinvestment of the sale proceeds thereof in Five-Year Post Office Time Deposit Scheme.

[No. 1]1[81—Judl.] K. L. ARORA, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 16 जून 1981

सा० का० नि० 613.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) संशोधन नियम, 1981 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 11 के उपनियम (1) में,--
 - (क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, स्रथात:—
 - "(क) अपनी सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए उस दशा में एक मास के वेतन के आधे की दर से उपदान पाने का पास होगा

जब कि समाप्ति के समय उसने कम से कम पांच वर्ष निरंतर सेवा कर ली हो",

- (ख) खंड (ख) में, "निरंतर" ग्रीर "तेवा" के बीच में श्राने वाले "स्थायिवत" शब्द का लोग किया जाएगा;
- (ग) उपनिधम (এ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनिधम रखा जाएगा, अर्थात :--
- "(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निरंतर सेवा" से कुल सेवा अभिप्रेत है, जिसके ग्रंतर्गत स्थायिवत् ग्राँर श्रेस्थायी सेवा के ग्रंत्यकाल भी हैं।"

[संख्या 12011/2/79-स्था०सी०] वी. एस. निम, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS .

(Department of Personnel and Administrative Reforms) New Delhi, the 16th June, 1981

G.S.R. 613.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President-hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, namely:—

1 (1) These rules may be called the Central Civil Services (Temporary Service) Amendment Rules, 1981

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 11 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 in sub-rule (1)(a) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:—
- "(a) one half of a month's pay for each completed year of his service if he had completed not less than five years of continuous service at the time of termination."
- (b) in clouse (b) the word quasi-permanent occurring between the words 'continuous' and 'service' shall be omitted;
- (c) for sub-rule (6) the following sub-rule shall be substituted, namely :--
 - "(6) For the purpose of this rule "continuous service" means the total service including spells of quasi-permanent and temporary service".

[No. 12011|2|79-Estt.(c)] B. S. NIM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 जुन 1981

सा० का० नि० 614.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक ग्रीर उप नियम (1) के साथ पठित श्रिखल भारतीय सेवा ग्रिधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त श्रिक्तियों का प्रयोग करते हूए केंद्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 में ग्रीर ग्रागे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम वनाती है ग्रथित:—

- 1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 1981 है।
 - (2) ये विनिमय सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होने।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 की श्रनुभूची में "हरियाणा" के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टि, श्रथांत् :-- "संयुक्त श्रावकारी तथा कराधान श्रायुक्त-1" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए:---

"ग्रवर ग्रावकारी तथा कराधान ग्रायुक्त-1"

[संख्या 11031/13/80-अ०भा० से० (II)-क]

New Delhi, the 19th June 1981

G.S.R. 614.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Haryana hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

- 1. (1) Those regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Tenth Amendment Regulations, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 under the heading 'Haryana' for the existing entries, namely

"Joint Excise & Taxation Commissioner-1"

The following shall be substituted, namely:-

"Additional Excise and Taxation Commissioner-1"

[No. 11031]13[80-AIS(II)-A]

सा० का० नि० 615.--भारतीन प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम II के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन

करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-
1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन)
आठवां संशोधन नियम, 1981 है।

- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भारतीय प्रणासन सेवा (वेतन) नियम 1954 की अनुंस्ची-III-ख में "हरियाणा" के अर्थन करवारा प्रविद्धि "राव्यत प्रावकारी तथा कराधान श्रायुक्त" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएं:---

"ग्रपर ग्रावकारी तथा कराधान ग्रायुक्त"

[संख्या 11031/13/80-अ० भा० ते० (II)-ख] जी० डी० घोषाल, डैस्क अधिकारी

G.S.R. 615.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 1981.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954:—
- (a) In 'Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale), in the Table, against 'Haryana' occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, for the existing entries namely:—

"Joint Excise and Taxation Commissioner"

the following shall be substituted, namely:-

"Additional Excise & Taxation Commissioner"

[No. 11031|13|80-AIS(II)-B] G. D. GHOSHAL, Desk Officer

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 1981

शुद्धि पत

साठ काठ निठ 616.—भारत के राजपत के 14 फरवरी 1981 के भाग II, खंड 3 उपखंड (1) के पूष्ट 318 पर छपे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 5 जनवरी 1981 के साठकाठ निठ 158 के कालम 12 में

"1. म्रध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा म्रायोग-सदस्य" के स्थान पर

"1. ग्रध्यक्ष/सदस्य, संघं लोकं सेवा ग्रायोग—अध्यक्ष", पहें।

> [ए॰ 12018/1/77-प्र॰ II] जी॰ बी॰ भल्ला, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs) New Delhi, the 11th June, 1981 CORRIGENDUM

G.S.R. 616.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No G.S.R. 158 dated the 5th January, 1981, published at pages 313 to 326 of the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 14th February, 1981, at page 318, in column 12,

"1. Chairman/Member, Union Public Service Commission-Member"

"1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman".

[A·12018/1/77-Admn. II] G. B. BHALLA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्यत बोडं)

नयी दिल्ली, 5 जून, 1981

सां का नि 617.--श्री ईश कुमार, निदेशक, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण भारतीय विद्युत् श्रिधिनियम 1910 (1910 का 9) के खंड 36क के उपखंड (4) के श्रिधीन केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड द्वारा उप-नियम 2 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन करते हुए श्री एस० डब्ल्यू० तिवारी के स्थान पर ग्रागामी ग्रादेश होने तक, एतद्द्वारा बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किये जाते हैं।

> [सं० सी० एम०-305/35/81] एस० एन० राव, अध्यक्ष

MINISTRY OF ENERGY

(Central Electricity Board)

New Delhi, the 5th June, 1981

G.S.R. 617.—In exercise of the powers conferred by bye-law 2(1) made by the Central Electricity Board under sub-section (4) of Section 36A of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910). Shri Ish Kumar, Director, Central Electricity Authority, is hereby appointed as Secretary of the Board vice Sh. S. W. Tewari till further orders.

[No. CM-305/35/81] S. N. ROY, Chairman, Central Electricity Board.

विज्ञान और प्रोह्यौगिकी विभाग

नई दिल्ली, 23 जून, 1981

सा० का० नि० 618.—केन्द्रीय सरकार, श्री चिता तिरुनल आयुर्विज्ञान और श्रौद्योगिकी संस्थान, तिर्वेद्वम, अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्यांक 52) की धारा 32 की उप धारा / (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम काती है, अर्थात:—

- संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ:---(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम श्री चिल्ला तिरुनल ग्रायुर्विज्ञान ग्रीर प्रौद्योगिकी संस्थान, तिवेंद्रम, विनियम, 1981 है।
 - (ii) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं:---इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से ग्रन्यथा ग्रपेक्षित न हों---
 - (क) "ग्रधिनियम" से श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान ग्रीर प्रौद्योगिकी संस्थान तिवेद्रम ग्रधिनियम, 1980 (1980 का ग्रधिनियम संख्यांक 52) ग्रभिप्रेत है।
 - ्(ख) "ग्रध्यक्ष" से संस्थान के शासी निकाय का ग्रध्यक्ष ग्रभिप्रेत है।
 - (ग) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक ग्रभिन्नेत है।
 - (घ) "सभापति" से संस्थान का सभापति अधिप्रेत है।
 - (ङ) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य ग्रिभिप्रेत है।
 - (च) "नियम" से अधिनियम की धारा 31 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभप्रेत है।
 - (छ) "अनुसूची" से इन विनियमों की अनुसूची अभन्नेत है।
 - (ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
 - (क्ष) "स्थायी समिति या तदर्थ सिनिति"से धारा 10 की उपधारा (5) के म्रधीन गठित की गई स्थायी मौर तदर्थ सिमिति म्रिभिनेत है।
- 3. संस्थान के अधिवेशनों का समय और स्थान:—संस्थान अपने अधि-बज़न सामान्यतः त्रिकेंद्रम में उतनी बार करेगा जो सभापित अवधारित करे परंतु संस्थान का वार्षिक साधारण अधिवेशन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।
- संस्थान का अधिवेशन बुलाने की शक्ति:—सभापित किसी भी समप्र संस्थान का अधिवेशन बुला सकेगा और वह ऐसा करेगा जब बुलाए जाने

- के लिए प्रस्तावित प्रधिवेशन का विषय विनिर्दिष्ट व रते हुए कम से कम सात सदस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए अध्यपेक्षा उसे प्रस्तुत की जाती है।
- 5. संस्थान के अधिवेशनों के लिए सूचना:——(i) संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो तत्समय भारत में है, कम से कम चौदह दिन पूर्व दे जाएगी।
- (ii) अधिवेशन की सूचना किसी सदस्य को या तो व्यक्तिगत रूप से या ऐसे सदस्य को संबोधित डाक में डाले जाने के प्रमारपन्न के अधीन डाक द्वारा तामील की जाएगी। यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी सूचना उचित रूप से परिदत्त की गई है।
- (iii) ऊपर उपविनियम (i) में किसी बात के होते हुए भी, सभा-पतिः लघुतर सूचना पर अधिवेशन बुला सकेगा यदि वह समझता है, कि किसी अत्यावश्यक मामले पर निचार विमर्श किया जाना है।
- 6. गणपूर्ति:——(i) संस्थान के किसी श्रधिवेशन के किसी कारवार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम दस सदस्य उपस्थित नहीं हैं।
- (ii) यदि अधिवेशन करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन उसी स्थान पर किसी अन्य दिन के लिए स्थिगित कर दिया जाएगा और ऐसे स्थिगित अधिवेशन की सूचना, ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, उसी दिन डॉक द्वारा या तार द्वारा या विशेष संदेश वाहक द्वारा जैसा भी मामले में उपेक्षित हो, दी जाएगी। परन्तु इस प्रकार स्थिगत अधिवेशन उस तारीख से, जिस तारीख को उसे किया जाना सूल रूप से प्रस्तावित था, चौदह दिन के भीतर किया जाएगा।
- (iii) यदि किसी स्थिगित प्रधिनेशन में भी श्रधिनेशन करने के लिए नियत समय से आधे घन्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधि-नेशन में उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति होगी।
- 7. संस्थान के अधिवेशन का सभापितत्वः—(i) सभापित संस्थान के प्रत्येक अधिवेशन का सभापितत्व करेगा। (ii) यदि किसी अधिवेशन में सभापित उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी का, उस अधिवेशन का सभापितत्व करने के लिए चयन करेंगे।
- 8. कागज पत्नों के परिचालन द्वारा कारवार का संव्यवहार:—(i) कोई कारोबार जिसका संव्यवहार संस्थान के लिए आवश्यक है, यिंद सभापित ऐसा निदेश देता है तो भारत में तत्समय उपस्थित सभी सदस्यों के बीच, उनके सामान्य पते पर रिजस्ट्रीकृत लिफाफे में कागजपत्नों के परिचालन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प उस प्रकार प्रभावी और आबद्ध कर होगा मानों कि वह संकल्प तंस्थान के अधिवेशन में पास किया गया था परन्तु यह तव जब कि कम से कम दस सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार ग्रिभिलिखित किए हैं।
- (ii) जब कोई कारबार इस प्रकार परिचालन द्वारा सदस्यों की निर्विष्ट किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर प्राप्त करने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि अनुज्ञात की जाएगी, ऐसी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को ऐसे कार वार की सूचना जारी की जाती है। यदि किसी सदस्य से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प का समर्थन किया है।
- (iii) यदि कोई संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन के परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किए जाएंगे।
- 9. मतदान:---संस्थान के श्रिधिवेशन में प्रस्तुत किए गए सभी मामले उपस्थित और उन पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनि-श्चित किए जाएंगे श्रीर मत बराबर होने की दशा में सभापित या

सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का उस मत के जिस मत का वह सदस्य के रूप में हकदार है ग्रतिरिक्त एक निर्णायक मत भी होगा ।

- 10. कारवार का अभिलेख रखना :—(i) संस्थान द्वारा संव्यवहृत सभी कारवार का अभिलेख रखा जाएगा।
- (ii) संस्थान के सभी विनिश्चय, यथासम्भव, संकल्पों के रूप में श्रीभिलिखित किए जाएंगें श्रीर संस्थान की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चयों की प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी कि संस्थान द्वारा ऐसे विनिश्चय किए गए थे।
- (iii) संस्थान की कार्यवाहियां उसके सदस्यों के बीच अधिवेशन की तारीख से चार सप्ताह के भीतर परिचालित की जाएंगी और यदि नियत अविध के भीतर कोई टीका टिप्पणी प्राप्त होती है तो उसे सभापित के असुमोदन के अधीन रहते हुए ठीक ढंग से सिम्मिलित किया जाएगा और अन्तिम कार्यवाहियों के रूप में पुनः जारी किया जाएगा।
- 11. शासी निकाय का गठन :—संस्थान के शासी निकाय में निम्न-लिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—
 - (i) संस्थान का सभापति, ग्रध्यक्ष ।
 - (ii) भारत सरकार के विज्ञान ग्रीर प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनि-धित्व करने वाला संस्थान का सदस्य ;
 - (iii) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार ;
 - (iv) संस्थान का निदेशक ;
 - (v) संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान ;
 - (vi) केरल राज्य सरकार के योजना, विज्ञान ग्रीर प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्थान का सदस्य ;
 - (vii) संस्थान के दो सदस्य, जिनका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाए ; और
 - (viii) संस्थान का एक ऋाचार्य, जो सभापति द्वारा प्रतिवर्ष नाम निदिष्ट किया जाएगा ।
- 12. शासी निकाय की शिवतयां और कुत्य :---(i) शासी निकाय ऐसी शिवतयों का प्रयोग और ऐसे कुत्यों का निर्वहन करेगा जो इन विनियमों की अनुसूची 1 में विनिदिष्ट है।
- (ii) शासी निकाय ग्रपनी कोई शक्ति ग्रध्यक्ष/निदेशक को, जैसा भी समीचीन हो, प्रदत्त या प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 13. शासी निकाय के अधिवेशन:—शासी निकाय सामान्यतः विवेन्द्रम में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष समय-प्रमय पर अवधारित करे, अपने अधिवेशन करेगा परन्तु अध्यक्ष अधिवेशन बुलाएगा यदि अधिवेशन में विचार विमर्श के लिए प्रस्तावित विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए कम से कम तीन सबस्यों द्वारा उस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में अध्यपेक्षा उसे प्रस्तुत की जाए और यह और कि शासी निकाय तीन मास में कम से कम एक वार अपना अधिवेशन करेगा।
- 14. शासी तिकाय के अधिवेशन की सूचना :—(i) शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो तत्समय भारत में है, कम से कम चौदह दिन पूर्व दी जाएगी।
- (ii) ग्रधिवेषान की सूचना किसी सदस्य को, या जो व्यक्तिगत रूप से या किसी सदस्य को संवोधित डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्न के ग्रधीन डाक द्वारा तामील की जाएगी । यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी सूचना उचित रूप से परिदक्त की गई है।
- (iii) उपखण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी, शासी निकाय का कोई श्रधिवेशन, जिसमें कोई ऐसा मामला, जिसे ग्रध्यक्ष ग्रत्यावस्थक समझता है, लिया जाता है, लघुतर सुचना पर भी बुलाया जासकता है।

- 15. गणपूर्ति:—(i) शासी निकाय के किसी ग्रिधिवेशन में किसी कारवार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम पांच सदस्य उपस्थित नहीं हैं।
- (ii) यदि अधिवेशन करने के लिए नियत समय से आधे घण्टे कें भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन उसी स्थान पर किसी अन्य दिन के लिए स्थिगत कर दिया जाएगा और ऐसे स्थिगत अधिवेशन की सूचना, ऐसे प्रत्येक सदस्य को, जो अधिवेशन में उपस्थित नहीं है, उसी दिन डाक द्वारा, या तार द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा, जैसा भी मामले में अपेक्षित हो, दी जाएगी। परन्तु इस प्रकार स्थिगत अधिवेशन उस तारीख से, जिस तारीख को उसे किया जाना मूल रूप से प्रस्तावित था, चौदह दिन के भीतर किया जाएगा।
- (iii) यदि किसी स्थगित ग्रधिवेशन में भी ग्रधिवेशन करने के लिए नियत समय से ग्राधे घन्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो ग्रधिवेशन में उपस्थित सदस्यों से ही गणपूर्ति होगी।
- 16 शासी निकाय के अधिवेशनों का सभापतित्व :—(i) अध्यक्ष शासी निकाय के प्रत्येक अधिवेशन का सभापतित्व करेगा ।
- (ii) यदि किसी अधिवेशन में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी का, उस अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए चयन करेंगे ।
- 17 कागजपतों के परिचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार :—(i) कोई कारबार, जिसका संव्यवहार शासी निकाय के लिए आवण्यक है, यि अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो भारत में तत्समय उपस्थित सभी सदस्यों के बीच, उनके सामान्य पते पर रिजस्ट्रीकृत लिफाफे में कागज-पत्नों के परिचालन द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और आवद्धकर होगा मानों कि वह संकल्प शासी निकाय के अधिवेशन में पास किया गया था परन्तु यह तब जबिक कम से कम पांच सदस्यों ने संकल्प पर अपने अनुमोदन अभिलिखित किए हैं।
- (ii) यदि कोई संकल्प परिचालित किया जाता है तो परिचालन के परिणाम शासी निकाय के समक्ष उसके पश्चातवर्ती अधिवेशन में रखे जाएंगे।
- 18. मतदान :—शासी निकाय के ग्रधिवेशन में प्रस्तुत किए गए सभी मामले उपस्थित ग्रीर उन पर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिध्चित किए जाएंगे ग्रीर मत बराबर होने की दशा में, ग्रध्यक्ष या समापित्व करने वाले व्यक्ति का, उस मत के जिस मत का वह सदस्य के रूप में हकदार है, ग्रतिरिक्त एक निर्णायक मत भी होगा।
- 19. कारवार का ग्रिभिलेख रखना :—(i) शासी निकाय द्वारा संव्यवहत सभी कारवार का ग्रिभिलेख रखा जाएगा ।
- (ii) शासी निकाय के सभी विनिश्चय, यथासम्भव, संकल्पों के रूप में ग्रिभिलिखित किए जाएंगे ग्रीर शासी निकाय की कार्यवाही पुस्तक में ऐसे विनिश्चयों की प्रविष्टि उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगी कि शासी निकाय द्वारा ऐसे विनिश्चय किए गए थे।
- (iii) प्रत्येक प्रधिवेशन की कार्यवाहियां, प्रधिवेशन होने के पश्चात चार सप्ताह के भीतर शासी निकाय के सदस्यों को परिचालित की जाएगी और अगले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा, उस अधिवेशन में सम्यक रूप से पुष्टि करने के पश्चात हस्ताक्षर की जाएंगी।
- 20 शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों का भरा जाना:— (i) अध्यक्ष की पदावधि सभापित के रूप में उसकी पदावधि तक सहिवस्तारी होगी ।
- (ii) जासी निकाय के सदस्य की पदावधि उस समय तक रहेगी जब तक कि वह संस्थान का सदस्य बना रहता है।

- (iii) केन्द्रीय संरकार द्वारा विनियम 11 के उपविनियम (vii) के प्रधीन नाम निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह संस्थान का सदस्य नहीं रह जाता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त हो जाएगी।
- (iv) प्रधान द्वारा विनियम 11 के उपविनियम (viii) के अधीन नाम निर्दिष्ट आचार्य की पदावधि, जैसे ही वह संस्थान का आचार्य नहीं रह जाता है या प्रधान द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, समाप्त हो जाएगी।
- 21. स्थायी ग्रौर तदर्थ समितियां:—(i) स्थायी ग्रौर तदर्थ समितियां वही होंगी जो इन विनियमों की ग्रनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(ii) कार्यकाल

स्थायी समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से पांच वर्ष होगा श्रीर तदर्थ समिति जैसे ही वह विनिर्दिष्ट कृत्य, जिसके लिए उक्त समिति नियुक्त की गई थी, पूरा हो जाता है समाप्त हो जाएगी परन्तु सभापित नाम निर्देशन द्वारा किसी भी समय किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति में होने वाली किसी रिक्ति को भर सकता है।

- 22. संस्थान, शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के प्रधान श्रीर सदस्यों को संदेय याता भन्ते श्रीर दैनिक भेनों :- संस्थान का सभापित और उसके सदस्य, शासी निकाय का अध्यक्ष और उसके सदस्य और विभिन्न स्थायी और तदर्थ समितियों के सदस्यों को, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं है, याता भन्ता, दैनिक भन्ता और आतिथ्य प्रभार उस पर संदत्त किए जाएंगे जो अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व श्री चित्ता तिरुनल मेडिकल सेंटर सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्यों को लागू होंगे जब तक कि संस्थान द्वारा उन्हें परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।
- 23. प्रधान के लिए सुविधा:—प्रधान को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए सिववालीय सहायता, जो भी भ्रावस्थक हो ग्रौर सुविधाएं जैसे कि ग्राशुलिपिक, टेलीफोन, डाक-महसूल ग्रौर लेखन सामग्री संस्थान के खर्चे पर दी जाएगी।
- 24. निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य :—(i) निदेशक संस्थान का मुख्य गौक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो अनुसूची 3 में विनिष्टि हैं।
- (ii) निदेशक संस्थान के सम्पूर्ण प्रशासन का भार साधक होगा और संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्ताच्य आवंटित करेगा तथा ऐसे प्र्यवेक्षण और कार्यपालक नियंत्रण का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हैं।
- (iii) संस्थान के समुचित प्रशासन के लिए, निदेशक को, श्रिधिनियम नियमों या इन विनियमों के अधीन उसे प्रदत्त शक्ति को संस्थान के किसी अधिकारी को ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो शासी निकाय अधिरोपित करे, प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी।
- 25. पुरस्कार, छातवृत्तियां ग्रादि देने की शक्ति:—संस्थान ऐसे पुरस्कार, स्मृति-चिन्ह, वृत्तिकाएं ग्रीर छातवृत्तियां दे सकेगा जो वह समय-समय पर विनिध्वित करें।
- 26 अध्ययन पाठ्यकमों में प्रवेश : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सुसंगत आदेशों के अनुसार किया जाएगा।
- 27. परीक्षात्रों का संचालन :—संस्थान की प्रवेश और वृत्तिक परीक्षात्रों के संचालन के लिए निवेशक द्वारा उतनी संद्या में पर्यवेक्षक, ग्रन्वेपक ग्रीर ग्रन्थ कर्मचारिवृन्द नियोजित किए जाएंगे जितने ग्रावश्यक हैं

- ग्नौर उन्हें शासी निकाय द्वार समय-समय पर नियत की गई दरों पर पारिश्रमिक का संदाय किया जाएगा ।
- 28. संस्थान में विभिन्न पदों के लिए ग्रह्ताएं:— संस्थान के ग्रधीन पदों के लिए ग्रायु, ग्रनुभव, ग्रह्ताएं, वेतनमान ग्रीर ग्रन्य वातें, शासी निकाय द्वारा, केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं में समरूप या तुल्य पदों के लिए विद्यमान ग्रहेंता ग्रीर ग्रनुभव को वृष्टि में रखेते हुए विहित की जाएंगी।
- 29. संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां :— संस्थान का निदेशक, संस्थान के निमित्त और उसकी श्रोर से बाद या श्रावेदन फाइल करने या अन्य सिविल या दाण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ करने उसे अग्रसर करने श्रीर ऐसे प्रयोजनों के बादपल, श्रजी या श्रन्य दस्तावेज जो भी श्रावश्यक हो, हस्ताक्षर करने निष्पादित करने या श्रनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम होगा।
- 30. वर्तमान सेवा गर्त का प्रवृत्त बना रहना:—(i) प्रधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, श्री जिल्ला तिरनल मेडिकल सैन्टर सोसाइटी फार एड-वान्स स्टडीज इन स्पेशैलिटीज, लिवेन्द्रम के ग्रिधिकारियों ग्रीर कर्मचारियों को यथा लागू, सेवा ग्रवधि, पारिश्रमिक, सेवा के निवंधन ग्रीर गर्ते, जिनके अन्तर्गत छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि ग्रीर ग्रन्य वार्ते भी हैं, तथ तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि ग्रिधिनियम के ग्रनुसार संशोधित, परिवर्तित या निरिसत नहीं कर दी जाती हैं।
- (ii) ग्रधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल रोन्टर सोसाइटी फार एडवान्सड स्टडीज इन स्पेगैलिटीज, त्रिवेद्धम के निदेशक द्वारा जारी किए गए स्थायी श्रादेश, प्रशासनिक अनुदेश या निदेश, जहां तक वे अधिनियम से असंगत नहीं है या जब तक वे अधिनियम के अनुसार निरसित, संशोधित या परिवर्तित नहीं कर दिए जाते हैं, प्रवृत बने रहेंगे।

अनुसूची 1 (ऋपया विनियम सं० 12 देखिए)

शासी निकाय

- शासी निकाय संस्थान के कारबार ग्रीर कार्यकलाप करेगा श्रीर उनका प्रबन्ध करेगा ।
- 2. शासी निकाय को सभी ऐसी शक्तियां होंगी और वह सभी ऐसे कृत्य करेगा जो संस्थान के उद्देश्यों की समुचित प्राप्ति और उन्हें अग्रसर करने के लिए ग्रावश्यक हैं।
- पूर्वगामी उपवंधों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना, शासी निकाय की निम्नलिखित शिवतयां होंगी, ग्रथीत्
 - (i) संस्थान के भी कर्मचारियों को नियुक्त करना ग्रीर उनकी मानितयों तथा कर्तव्य परिनिष्चित करना ;
 - (ii) सभी प्रवर्गों के पदों को वर्गीकृत करना श्रीर सभी पदों के लिए ग्रहिताएं ग्रधिकथित करना ;
 - (iii) संस्थान के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन ग्रीर शर्ते, जिनके ग्रन्तर्गत भर्ती ग्रीर नियुक्ति की पद्धतियां भी है, ग्रधिकथित करना ;
 - (iv) कर्मचारियों की सेवा—ज्येष्ठता के सिद्धान्त ग्रधिकथित करना।
 - (v) किसी संयुक्त परियोजना या अन्य प्रयोजनों के लिए किसी अन्य संस्था या विण्वविद्यालय में किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए कार्य करने के लिए संस्थान के अध्यापकों और अन्य गैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति का अनुमोदन करना ;

- (vi) सभी कर्मचारियों की उपलब्धियां, सेवा शर्त जिनके अन्तर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के लिए उपबन्ध भी है श्री चिसा तिस्तल श्रार्युविज्ञान श्रीर प्रौद्योगिकी संस्थान, नियम 1981 के नियम 7 के अधीन रहते हुए सेवा-समाप्ति श्रीर अनुशासनिक कार्यवाहियों की रीति विनिष्त्रित करना ;
- (vii) संस्थान के विभिन्न अधिकारियों को शवितयां प्रत्यायोजित करना :
- (viii) संस्थान में दिशाधियों का प्रवेश स्थीर उनके नामांकर ;
- (ix) व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या किसी अन्य परीक्षण-पद्धित के आधार पर संस्थान द्वारा डिप्लोमा या प्रमाणपत्न देने के लिए, और उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टियां प्रदान करने के लिए तथा अच्छा और पर्याप्त कारण होने पर ऐसी कोई डिप्लोमा, प्रमाण पत्न उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टियां वापस लेने के लिए प्रक्रिया और शर्तें अधिकथित करना ;
- (x) संस्थान द्वारा सम्मानिक उपाधियां या सम्मानिक अधिसदस्यता या अन्य विशिष्टियां प्रदान करने की सिफारिश करना ;
- (xi) संस्थान का अनुमोदन करना और अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति, पदक और पुरस्कार देता ;
- (xii) विश्वविद्यालयों या संस्थाओं से ऐसी रीति में ब्रीर ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार करना या सहयोग करना या सहयुक्त होना, जो संस्थान अवधारित करे परन्तु किसी विदेशी या ब्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग की बाबत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन ब्रावश्यक होगा;
- (xiii) वित्त स्थायी समिति या ग्रिधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के ग्रिधीन गठित किसी ग्रन्य सिमिति की सिफारिशों पर विचार करना श्रौर उन्हें स्वीकार करना या उनमें समुचित परिवर्तन करना ;
- (xiv) तदर्थ समितियों की, जब ग्रीर जैसे ही ग्रावश्यक हो, नियुक्ति करना ;
 - (XV) निदेशक को समय समय पर ऐसे कृत्य और कर्तव्य सौंपना और उसे ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करना जो वह ग्रावश्यक समझे;
- (xvi) सभी ऐसे कार्यों का ग्रनुपालन करना ग्रीर सभी ऐसी वार्तें करना जो संस्थान की सम्पिति के उचित प्रबंध के लिये ग्रावण्यक हों;
- (xvii) भवनों की सन्निर्माण और अनुरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनम परिवर्तन और उनकी अभिवृद्धि भी है, अनुमोदित करना;
- (xviii) संस्थान द्वारा दान-प्रादान या वसीयत स्वीकार करने के लिये निबंधन ग्रीर णर्ते अधिकथित करना:
- (xix) संस्थान द्वारा स्वामित्व प्राप्त करने के लिये निवन्धन ग्रौर शर्ते अधिकथित करना ;
 - (xx) संस्थान के निमित ग्रीर उसकी ग्रीर से करार करना;
 - (xxi) संस्थान की ग्रोर से बाद चलाना ग्रीर सभी विधिक कार्य-वाहियों में प्रतिरक्षा करना ;ै
 - (xxii) तदर्थ द्याधार पर व्यक्तियों को ऐसे निबन्धनों और शर्ती पर नियुक्त करना जो वह संस्थान द्वारा प्रारम्भ किये गर्थे अध्ययनों, अन्वेषणों अनुसंधान, शिक्षण और ग्रन्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिये ठीक समझे ;

- (xxiii) श्रिष्ठितयम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व यथा विद्मान श्री विद्या तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी सेवा नियम के श्रनुसार, जब तक कि उन्हें संस्थान द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, संस्थान के कर्मचारियों पर नियंत्रण और अनुशासन का प्रयोग करना;
- (xxiv) यदि वह ठीक समझना है तो भारत में ब्रौर विदेश में होने वाले अधिवेशनों में संस्थान का प्रधिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना ;
- (xxv) अध्ययन, क्रुलियां, पुरतकें नियत कालिक पत्निका, रिपोर्टें और अन्य साहित्य प्रकाशित करना और या उनके प्रकाशन का वित्त पोषण करना और उनका विकय करना या उन्हें विकय के लिये व्यवस्था करना;
- (XXVI) निवेश-बाह्य अध्ययनों और विस्तारी सेवाओं को संगठिन करना और चलाना ;
- (xxvii) ऋधिनियम, नियमों और विनियमों और वजट उपबंधों के अधीन रहते हुए, जिला सबंधी और अन्य पदों का सृजन करना;
- (xvviii) ग्रभ्यागत प्राचार्यत्व ग्रीर सम्मानिक श्राचार्यत्व संस्थित करना ग्रीर जन पर नियुक्तियां करना ;
- (XXIX) कोई सम्पत्ति, जंगम और स्थावर दोनों, जो संस्थान की हैं या उस में निहित है, किसी रीति में, जो अधिनियम की धारा 12 में विनिदिष्ट उद्देश्यों के उन्नयन के लिये आवश्यक समझी जाती है, अजित करना, धारण करना, व्ययन करना और उसकी बाबत व्यवहार करना;
- (xxx) संस्थान के प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के प्रधीन रहते हुए, संस्थान की सम्पित्त की प्रतिभूति पर उधार लेना;
- (xxxi) ऐसी फीस श्रीर श्रन्य प्रभार नियत करना, मांग करना श्रीर प्राप्त करना, जो समय-समय पर विनिदिष्ट किये जायें;
- (xxxii) कर्मचारियों के स्वास्थ्य ग्रीर साधारण कल्याण के उन्नयन के लिये व्यवस्था करना ;
- (xxxiii) संस्थान के विद्यायियों के बीच अनुशासन विनियमित करना और उसे प्रवृत्त करना और इस निमित्त ऐसे अनुशासनिक उपाय करना को आवश्यक समझे जायें;
- (xxxiv) सभी ऐसे ब्रन्य कार्य ब्रीर बातें करना जो अधिनियम की धारा 12 में विनिदिष्ट उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ब्रावश्यक, ब्रानुषंगिक या सहायक हों।

अनुसूची 2

स्थायी समिति गठन और कृत्य

(कृपया नियम 21 देखिए)

क. स्थायी वित्त समिति

संरचना :

- ा निदेशक (ग्रध्यक्ष);
- केन्द्रीय सरकार के विज्ञान ग्रीर प्रौद्योगिकी विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि (सदस्य) ;
- केन्द्रीय सरकार के दिशान और प्रीद्योगिकी विभाग का प्रति-निधित्व करने वाला संस्थान का सदस्य ;
- 4. संस्थान का एक सदस्य जो शासी निकाय द्वारा नाम निदिष्ट किथाज।येगा;

- 5. संस्थान का विस्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (संयोजक पदेन) स्थायी विस्ता सिमिति निम्नलिखित मामलों पर विचार करने और उन पर शासी निकाय की सिफारिश करने के लिये प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेंगी;
- (1) संस्थान के वजट प्राक्कलन तैयार करना, ग्रीर व्यथ के लेखात्रों का पुनरीक्षण करना ग्रीर शासी निकाय को सिफारिशें करना;
- (2) बड़े निर्माण कार्य पर नये व्यथ के लिय प्रस्ताव पर ग्रीर क्या के लिय विचार करना ग्रीर शासी निकाय को सिर्फारिशें करना;
- (3) पुर्ताविनियोग विवरणों ग्रीर संपरीक्षा टिप्पणों की समीक्षा करना ग्रीर उन पर शासी निकाय को सिकारियों करना ;
- (4) संस्थान के वित्त का पुनरीक्षण करना और जहां भी आवश्यक हो, समवर्ती लेखा परीक्षा किये जाने का सुझाव देना ;
- (5) किसी अन्य वित्तीय प्रश्न पर, जिसका संस्थान के कृत्यों पर प्रभाव पड़ता है, शासी निकाय को सजाह देना और उसे सिफारिशों करना ;
- (6) भवन, सिनामीण और कय की बाबत निविदायें आमंत्रित करने ग्रीर उन्हें स्वीकार करने से सम्बन्धित सभी मामले।

ख. स्थायी शैक्षणिक समिति

संरचनाः गैक्षणिक समिति में निम्नलिखित होंगे :---

1. निदेशक

(ग्रध्यक्ष पदेन)

- 2. प्रधान, जैव चिकित्सा प्रीद्योगिकी खण्ड;
- संस्थान के आचार्यों श्रीर वैज्ञानिकों से तीन व्यक्ति जो शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्य किये जायेंगे; श्रीर

ऐसे ग्रन्थ व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, जिन्हें शासी निकाय द्वारा समय-समय पर उनके विशिष्ट ज्ञान के लिये नाम निर्दिष्ट किया जाये परन्तु समिति की कुल सदस्थता दस से श्रिथक नहीं होगी।

- कृत्य: निम्नलिखित मामलों पर विचार करने और उनपर शासी निकाय को सिफारिश करने के लिये शैक्षणिक समिति तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी:
 - (1) संस्थान की श्रैक्षणिक नीतियों पर और शिक्षण, श्रद्ध्यापन, प्रशिक्षण, श्रनुसंधान के मूल्यांकन की पद्धतियों और शैक्षणिक मानकों में सुधार का साधारण पर्यवेक्षण ;
 - (2) स्वप्रेरणा पर या शासी निकाय द्वारा निर्देश किये जाने पर साधारण शैक्षणिक हित के मामले ;
 - (3) संस्थान में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण की योजना और उनके लिये कार्यक्रम बनाना;
 - (4) उन विषयों में, जो संस्थान में व्यवहृत हैं, प्रश्नपत बनाने वालों और परीक्षक पैनल के रूप में पूर्णरूप से अहित व्यक्तियों की नियुक्ति ;
 - (5) उन विषयों में, जो संस्थान में व्यवहृत हैं, ग्रध्ययन, प्रशिक्षण ग्रीर परीक्षा के पाठ्यक्रमों का अनुमोदन ;
 - (6) उन विषयों में, जो संस्थान में व्यवहृत हैं, स्नातकोत्तर परीक्षाग्रों के संवालन का पर्यवेक्षण ;
 - (7) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के चयन के लिये मानक ग्रीर प्रक्रिया बनाना ;
 - (६) परीक्षा के परिणाम पर विचार करना और अभ्यवियों को उपाधि, डिप्लोमा और अन्य क्षिक्षा संबंधी विकिष्टियां प्रदान

करने के लियेँ शासी निकाद को अभ्यर्थियों को सिकारिश करना।

ग. स्थायी भवन समिति

संरचनाः स्थायी भवन समिति में निग्नलिखित सदस्य होंगे:---

- 1. निदेशक (अध्यक्ष पदेन);
- 2. प्रधान, जैव-चिकित्सा प्रीद्योगिकी खण्ड,;
- 3. संस्थान का वित्तीय, सनाहकार ग्रीर मुख्य लेखा ग्रधिकारी (संयोजकपदेन) ;
- 4. संस्थान का एक संस्दय जो शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- ं । 5. एक सिविल इंजीनियर जो शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; ग्रीर
 - एक सदस्य, जो निदेशक द्वारा, जैसे ग्रीर ग्रव श्राथयक हो, सहयोजित किया जायेगा।

कृत्य: स्थायी भवन समिति, निम्नलिखित मामलो पर विचार करने क्रौर उन पर शासी निकाय को सिफारिश करने के लिये, हर छः मास में कम ऐसे कम एक बार बैठक करेगी:

- (क) नये भवनों का सन्तिमणि ;
- (ख) भूमि का अर्जन ग्रीर व्ययन ;
- (ग) संस्थान के भवनों का परिवर्धन या परिवर्तन और उनके अनु-रक्षण या उपयोग से सम्बन्धित कोई अन्य प्रक्न।

घ. ज्येष्ठ कर्भवारिवृत्व के चयन के लिए स्थायी समिति

- संस्वनाः
 - संस्थान के सदस्य में से सभापित द्वारा नामनिदिष्ट एक वैज्ञानिक (ग्रध्यक्ष);
 - 2. निदेशक (पदेन) ;
 - 3. संस्थान के जैव चिकित्सा प्रीद्योगिकी खण्ड का प्रधान (पदेन); ग्रीर
 - केन्द्रीय सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का एक नाम निर्देखिती ।
- कृत्य: ज्येष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन के लिये स्थायी समिति, साक्षात्कार द्वारा या ग्रन्थया ग्रभ्यियों का चयन करने के प्रयोजन के लिये ग्रारेर ऐसे सभी पदों पर, जिनके वेतनमान का ग्रधिकतम 750 रु० प्रतिमास से ग्रधिक है, नियुक्ति के लिये सिफारिश करने के लिये जितनी बार भी ग्रावश्यक हो, बैठक करेगी, परन्तु ऐसी प्रत्येक बैठक में, संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ग्रीर संस्थान का एक ज्येष्ठ ग्राचार्य नियुक्ति किया जायेगा।

ड. कनिष्ठ कर्मचारिवृत्द के चयन के लिए स्थायी समिति की संरचना

संरचना :

- 1. चिकित्सा ग्रधीक्षक ;
- 2. संस्थान के जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान ;
- संस्थान के ग्रैक्षणिक खण्ड का एक प्रतिनिधि जो निदेशक द्वारा नामनिदिण्ट किया जायेगा;
- तीन व्यक्ति जो प्रधान द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- कृत्य : कनिष्ठ कर्मचारिवृत्व के चयन के लिये स्थायी समिति, साक्षात्कार, द्वारा या ग्रन्थथा श्रभ्यर्थियों का चयन करने के लिये ग्रौर ऐसे सभी पदों पर जिनके वेतनमान का ग्रधिकतम 750 रु० प्रतिमास से कम है, नियुक्ति के लिये सिफारिश करने के लिये जितनी भी

~

वार प्रावश्यक हो, वैठक करेगी परन्तु संस्थान के जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी में कनिष्ठ कर्मचारिवृन्द के चयन की बाबत, जैव, चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान समिति का ग्रध्यक्ष होगा।

च शौद्योगिको विकास समिति

संरचना :

भीद्योगिकी विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :---

- (1) निदेशक (श्रध्यक्ष, पदेन) ;
- (2) संस्थान के जैद-चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान ;
- (3) संस्थान के जैब चिकित्सा प्रौद्योगिकी खण्ड के दो वैज्ञानिक जो सभापति द्वारा नामनिर्दिब्ट किये जायेंगे ;
- (4) दो अन्य वैज्ञानिक/श्रीद्योगिकीविद् जो सभापति द्वारा संस्थान के सदस्यों से नामनिर्दिष्ट किये जार्यने ; और
- (5) तीन वैज्ञातिक जो उन विशिष्ट ज्ञान के कारण, शासी निकाय द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- कृत्य : स्थायी प्रौद्योगिकी विकास समिति, निस्नलिखित मामलों पर विचार करने क्रीर उन पर शासी निकाय को सिफारिश करने के लिये प्रत्येक छ: मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी;
- (क) संस्थान की प्रीद्योगिकी नीतियां और जैव-चिकित्सा प्रीद्योगिकी अनुसंधान और विकास से संबंधित योजनायें ;
- (ख) प्रीद्योगिकी प्रशिक्षण की पद्धतियों का प्रारम्भ ;
- (ग) जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रनुसंधान श्रीर विकास कार्यक्रमों का मृल्याकन ;
- (घ) संस्थान के जैव चिकित्सा खण्ड में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकों अनुपालन के मानकों में सुधार ।

अनुसूची 3

निदेशक की शक्तियां और उसके कृत्य

(कृपया विनिधम सं० 24 देखिए)

- निवेशक संस्थान का शैक्षणिक प्रधान और मुख्य कार्यपालक अधि-कारी होगा और ऐसी हैरियत से संस्थान के सभी शैक्षणिक कियाकलामों और सभी प्रवासनिक मामलों के लिये उत्तरदायी होगा;
- निदेशक, संस्थान ग्रीर शासी निकाय के विनिज्यमों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा;
- निदेशक, वार्षिक रिपोर्ट ग्रीर वार्षिक लेखा तैयार करायेगा ग्रीर उन्हें शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा;
- तिदेशक, सभापति की अनुपस्थिति में, उपाधियां प्रदान करने के लिये किये गये संस्थान के दीक्षान्त गमारोहों का सभापतित्व करेगा;
- 5 निदेशक, सभापति/अध्यक्ष के अनुमोदन से, संस्थान/शासी निकाय के अधिवेशनों के लिये सूचनायें जारी करेगा और उन्हें संयोजित करेगा और ऐसे अधिवेशनों के लिये कार्यसूची तैयार करायेगा,;
- 6. निदेशक, अधिनियम के उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए श्रीर शासी निकाय के अनुभोदन से संस्थान की ओर से किसी भी बैंक में खाते खोलेगा, वह, शासी निकाय के अनुभोदन से, चेकों पर हम्ताक्षर करने की शक्ति, संस्थान के श्रन्य प्रधिकारियों को, जो समीचीन हो, प्रत्यायोजिन कर सकेगा।

- 7 निदेशक को, श्री चिल्ला तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज स्पैशीलटीज, तिबेन्द्रम के सेवा नियमों में यथा- उपविणत अनुशासनिक नियमों के अनुसार जो इस श्रीधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व विद्यमान थे, संस्थान के कर्मचारियों की वाबत अनुशासनिक मामलों में अनुशासन से संविधित सभी शिक्तियां होंगी ग्रीर वह उनका तब तक प्रयोग करेगा जब तक कि उन्हें संस्थान द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है;
- अनुशासन से संबंधित और संस्थान के विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की शक्तियां निदेशक में निहित होंगी;
- 9. (क) उन निर्वेन्धनों के, यदि कोई हैं, जिन्हें शासी निकाय द्वारा अधिरोपित किया जाये, अधीन रहते हुए, संस्थान के उन मंजूर पदों पर, जिनके वेतनमान का न्यूनतम 1700 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, नियुक्तियां करना;
 - (ख) प्रस्थायी संकभी/कर्त्तव्यभारों के लिये, जिनका अधिक से श्रिधिक पारिश्रमिक 1700 रुपये प्रतिमास है, ग्रिधिक से ग्रिधिक एक वर्ष की श्रवधि के लिये संविदा पर नियुक्तियां करना और वजट उपवन्धों के श्रधीन रहते हुए उनके लिये पदों का सृजन करना। ऐसी नियुक्तियां, शासी निकाय को उसके पश्चातवती श्रधिवेशन में रिपोर्ट की जायेगी और वे शासी निकाय के अनुमोदन के ग्रधीन रहते हुए ही बनी रहेंगी;
- 10. उन निर्वन्धनों के, यदि कोई हैं, जो शासी निकाय अधिरोषित करे, अधीन रहते हुए, उन पदों पर जिनके बेतनमान का न्यूनतम 1700 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, प्रोन्नित की बावत सेवा नियमों के अधीन रहते हुए प्रोन्नितयां करना;
- 11. इस अनुसूची में किसी खात के होते हुए भी, निदेशक को, श्री चिन्ना तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशैलिटीज, क्रिवेन्द्रम की साधारण तेवा-शर्त या कार्मिक आचरण निथमों के अधीन उसमें निहित तभी क्रिक्तियां होंगी जिब तक कि वे संस्थान द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं;
- 12. वजट उपयन्धों के अधीन रहते हुए, उपस्कर रसायन, श्रीपिध श्रीर रसद, सभी मामलों में, जहां संविदा की कुल रकम 2,00,000 ६० से श्रधिक नहीं है, संस्थान की श्रोर से निविदा मांगना श्रीर किसी पक्षकार से संविदा करना;
- व्यय की विभिन्न मदों के अधीन बजट उपवंध का संवितरण मंजूर करना;
- 14. किसी ऐसे निर्वन्धन के, जो शासी निकाय द्वारा अधिरोणित किया जाये, अधीन रहते हुए एक उप-शीर्ष से दूसरे को निधियों का पूर्नाविनियोग मंजूर करना ;
- 15. ऐसे कर्मचारियों से, जिन्हें प्रतिशत दिलवानी है, प्रतिभूति पस्न स्वीकार करना;
- 16. संस्थान की ग्रीर से, जहां भी ग्रावश्यक हो, करार निष्पादित करना ;
- 17. संस्थान की श्रीर से ठेकेदारों के साथ संविदा करना ;
- 18. मंजर किये गये छोटे ग्रीर वड़े संकमी की वायत संविदा करना ;
- संस्थान के उपयोग के लिये किराये पर लिये गये भवनों की बाबत करार पर हस्ताक्षर करना ;
- 20. संस्थान के ग्राधिकारियों द्वारा, देण के मीतर, की जाने वाली कर्तक्य पर याहायें मंजूर करना ;
- 21 एक ही समय पर तीन वर्ष तक की अवधि के लिये वृक्षों के जिप भोगाधिकार का नीलामी द्वारा विकय मंजूर करना ;

जाळ 2. जिलासी के विकास नक्षा बोर्स स्थान कर को प्राप्त कर के किए. भवन एवबाल्ड स्टडीन संगीतटील, द्विनेध्याने रेम प्रिक्रमी में यया-

DEPARTMENT HOF PSCIENCE HANDS TECHNOLOGY

: * New Definite hear 23rd June 1981 Frank

GSR. 618 Filt exercises of the powers contened by subsection (2), of section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act, 1980 (Act 52 of 1980) the Central Government hereby makes the following regulations filmely

- FI. Shoff ittle sand commencement. (I) These regulations may be called the Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981.

 (ii) They shall come into force at once.
- ਸੰ 2. ਸਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰੀ ਇਸੀ ਦੇ ਸਿਸ਼ਸਤੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿਸਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰ (ਜ਼) otherwise regulations unless the context
- एक्ती(क्र) "Act में means the Bree Chitra Flivulal Institute for
- Fig. Medical Sciences and Technology Trivandrum Act, for 1980 (Act 22 of 1980).

 The Part of the Chairman means the Chairman of the Governing the Body of the Institutes the first are
- कि दिए मुद्र Director means Director of the Institute.
 - (d) "President" means President of the Tristitute.
- Filty (e), "Member" means members of the Institute of This is a second of the second of the Act.

 The Schedule means the rules made by the Central Government under section 31 of the Act.

 The Covernment under section 31 of the Act.
 - (h) "Section" means a section of the Act.
- is (i) "Standings Committee Fifand of Addibe Committee Rife : sameans the fistanding and adhor committee constituted under sub-section (5) of section 10.
- first. Time, and Placerof: Meeting of Institute. The Institute shall ordinarily hold its meetings in Trivandrum as many limes as the President may determine provided that are annual general meeting of the Institute shall be held every year.
- ##4. Rowersto Gally at Meeting of the Institute: The President may at any time, call a meeting of the Institute and shall do so if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than seven members specifying the subject of the meeting proposed to be called.
- इसय की विभिन्न मही के अधीस बन्नड उपबंध का मंबितरण
- 5. Notice for Meetings of the Institute, (i) very Not less than fourteen clear days notice in writing of every meeting of the Institute shall be given to each member who is for the time being in fiddal. The least the property of the time being in fiddal.
- is the time being in meta.

 If fixelf is the first on us is not the first of the fixelf is the first of the fixelf is the first of the fixelf is the fixelf of the fixelf is the fixelf of the fixelf is the fixelf
- र्यातार करता : (iii) Notwithstanding anything contained in sub-regulation ; (ii) sabover the President may call a meeting at a shorter notice if he considers that there is any urgent matter to be discussed कर काम कार के लिक्का है है।
- : ान्छ Qudirumम्म (i) Noribusiness जीविश्यिक ने transacted at a meeting of the Institute unless at least ten members are स्थान के प्रवास के प्रवा
- (ii) If within half an hour from the time appointed for of such adjourned meeting the meeting is not present, the meeting install island adjourned to another day at the same place and notice of such adjourned meeting shall be given to each member who is not present at the meeting the same day by prost for telegram or special messenger as the case may require. Provided that the meeting so adjourned shall be held within fourteen days of the date on which it was originally proposed to be held.

- (iii) If at any adjourned meeting also, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present at the meeting shall form the quorum.
- 7. Presidency over Meeting of the Institute.—(i) The President shall preside over every meeting of the Institute.
- (ii) If the President is not present at any meeting, the members present shall choose one from among themselves to preside over that meeting.
- 8. Transaction of Business by Circulation of Papers.—
 (i) Any business which may be necessary for the Institute to transact may, if the President so directs, be dealt with by circulation of papers under registered cover among all the members for the time being in India at their usual address and any resolution so circulated and approved by the majority of the members signing, shall be as effectual and binding as if the resolution had been passed at a meeting of the Institute provide at least ten members have recorded their views on the resolution.
- (ii) When any business is so referred to the members by circulation, a period of not less than fifteen clear days shall be allowed for the receipt of replies from the members, such period to be counted from the date on which the notice of such physicess is issued. If no reply is received from a member within a period of fifteen days he shall be deemed to have supported the resolution.
- The resolution is circulated, the results of the circulation shall be communicated to all the members.
- 9. Voting, All imatters submitted to a meeting of the Institute shall be decided by a majority of the members present and voting thereat, and in case of an equality of votes, the President or the person presiding shall have a casting voter in addition to the vote to which he may be entitled to as a member.
- 10. Recording of Business.—(i) A record shall be main-tained of all business transacted by the Institute.
- (ii) All decisions of the Institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decisions in the book of proceedings of the Institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Institute. ianselis
- (iii) Proceedings of the Institute shall be circulated among its members within four weeks of the meeting and if any comments are received within a stipulated time they shall loss incorporated shifably subject to the approval of the Pesident and re-issued as final proceedings.
- Body of the Institute shall consist of the following members, namely:—
- FFFTH (i) The President of the Institute Chairman;
- (ii) The member of the Institute representing the Department of Science and Technology. Govern-
 - (iii) Director General of Health Services, Government of India;
- विशेशकः नभाषि की सम्परिश्वि में उपाधिनां इत्यस सुरमें के Director of the sputiged (vi)
 विश्वे विभे समें नंभी नेपासिक की समिति की समिति के समिति की समिति की
 - (v) Head of the Biomedical Technology Wing of the Institute:
- मार्ग में (vi) Member of Fine Fine itule representating the Depart-field from the Planting Science and Technology, Govern-ment of Kerala; के निर्देश के प्रिकेश के प्राप्त कर कर कर कर कर है।
- (vii) Two members of the Institute to be nominated by
- if whith One Professor of the Institute nominated annually by the President rel normale normales
- (1) The Governing Body shall exercise such powers and discharge such functions as are specified in Schedule I of these regulations.

- (2) The Governing Body may confer or delegate any of its powers to the Chairman/Director as expedient.
- 13. Time and Place of Meeting of the Governing Body.—The Governing Body shall ordinarily hold its meetings in Trivandrum at such times as the Chairman may, from time to time determine provided that the Chairman shall convene a meeting if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than three members specifying the subject-matter proposed to be discussed in the meeting; and provided further that the Governing Body shall meet at least once in three months.
- 14. Notice for Meeting of Governing Body.—(i) Not less than fourteen clear days notice or every meeting of the Governing Body shall be given to each member who is for the time being in India.
- (ii) A notice may be served upon any member either rersonally or by post under certificated of posting in an avelope addressed to such member, such notice shall be presumed to have been properly delivered.
- (iii) Notwithstanding anything contained in sub-section (i), a meeting of the Governing Body at which any matter which is considered urgent by the Chairman has to be taken up, may be called at a shorter notice.
- 15. Quorum.—(i) No business shall be transacted at a meeting of the Governing Body unless at least five members are present.
- (ii) If within half an hour of the time appointed for holding the meeting, quorum is not present, the meeting shall stand adjourned to another day at the same place and notice of such adjourned meeting shall be given to each member who is not present on the same day by post or telegram or special messenger as the case may require. Provided that a meeting so adjourned shall be held within the fourteen days of the date on which it was originally proposed to be held.
- (iii) If at any such adjourned meeting also, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the members present at the meeting shall from the quorum.
- 16. Presidency over Meetings of Governing Body.--(i)
 The Chairman shall preside over every meeting of the
 Governing Body.
- (ii) If the Chairman is not present at any particular meeting, the members present shall choose one from among themselves to chair that meeting.
- 17. Transaction of business by circulation of papers:—(i) Any business which may be necessary for the Governing Body to transact, may, if the Chairman so directs, be dealt with by circulation of the papers sent under registered cover to all the members for the time being in India at their usual address, and any resolution so circulated shall be so effectual and binding as if the resolution has been passed at a meeting of the Governing Body, provided at least five members have accorded their approval to the resolution.
- (ii) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be placed before the Governing Body at its subsequent meeting.
- 18. Voting.—All matters submitted to a meeting of the Governing Body shall be decided by a majority of the members present and voting thereat, and in case of an equality of votes, the Chairman or the person presiding shall have a casting vote, in addition to the vote to which he may be entitled to as a member.
- 19. Recording of business.—(i) A record shall be maintained of all business transacted by the Governing Body.
- (ii) All decisions of the Governing Body shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions and an entry of such decisions in the book of proceedings of the Governing Body shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Governing Body.

- (iii) The proceedings of every meeting shall be circulated to the members of the Governing Body within four weeks of the meeting and shall be single slight that presiding at the next meeting after the confirmation of the meeting.

 20. Terms of office of members of the company of the confirmation of the co
- 20. Terms of office of members of the dilling of vancancies.—(i) The term of office of the Chairman shall be coterminus with his difficult of the president.
- President.

 (ii) The term of office of a member of the Good and the common of the Good and the common and a shall continue as long as he is a member of the continue as long as long as he is a member of the continue as long as he is a member of the continue as long as he is a member of the continue as long as he is a member of the continue as long as he is a member of the continue as long as lo
- (iii) The term of office of a member nominated by the Central Government under sub-regulation (viii) of oregulation it shall cease as soon as he ceases to be metrilled if the Institute or till he is replaced by the Central Government whichever is earlier.
- (iv) The term of office of the Professor nominated by their President under Sub-regulation (viii) of regulation 142 the shattates cease as soon as he ceases to be a Professor of the Institutes or till he is replaced by the President, whichever is earlier.
- 21. Standing and ad-hoc Committees.—(i) The standing and ad-hoc committees shall be specified in Schedule III these regulations.
- (ii) Terms of office.—The term of office of a standing committee shall be five years from the date of its constitution and an ad-hoc committee shall cease to function as soon as the specific functions for which the said committee is appointed are completed provided that the President may by nomination fill at any time any vacancy that may arise in the composition of a Standing Committee or an ad-hoc committee.
- 22. Travelling and daily allowance to be paid to the President and members of Institute, Governing Body and Standing and ad-hoc Committees.—The President and Members of the Institute Chairman and members of Governing Body and Members of various Standing and Ad-hoc Committees, who are not employees of the Institute shall be paid travelling allowance, daily allowance and hospitality charges at rates as applicable to members of the Governing Body of Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society before the commencement of the Act until altered by the Institute.
- 23. Facility for President.—The President may be provided secretarial assistance as necessary and facilities such as a stenographer, telephone, postage and stationery at the expenses of the Institute for effective discharge of his functions.
- 24. Powers and duties of Director.—(i) The Director shall be the chief academic and executive officer of the Institute and shall exercise such powers and discharge such functions as are specified in Schedule III.
- (ii) The Director shall be in charge of the overall administration of the Institute and shall allocate duties to officers and employees of the Institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.
- (iii) For the proper administration of the Institute the Director shall have powers to delegate any of his powers conferred on him under the Act the rules and these regulations to any officer of the Institute subject to such limitations as may be imposed by the Governing Body.
- 25. Powers to award prizes scholarships etc.—The Institute may award such prizes, souvenirs, stipends and scholarships as may be decided by it from time to time.
- 26. Admission to courses of studies.—Reservation of seats for candidates belonging for Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other categories of persons shall be made in accordance with the relevant orders issued by the Central Government from time to time.
- 27. Conduct of Examinations.—(i) Such number of supervisors, investigators and other staff as may be necessary for conducting the entrance and professional examinations of the Institute, may be appointed by the Director and remuneration shall be paid at the rates fixed by the Governing Body from time to time:

- 28. Qualifications for various posts in the instt.—Age, experience qualifications, scale of pay and other details of posts under the Institute shall be prescribed by the Governing Body keeping in view the qualification and experience as prevalent for similar or comparable posts in Central Government Institutions.
- 29. Proceedings by or against the Institute.—The Director of the Institute shall be competent to file suits or applications or commence other proceedings civil or criminal for and on behalf of the Institute and to prosecute the same and for such purposes to sign, execute or attest plaints, petitions, appeals or other documents as may be necessary.
- 30. Continuance in force of existing conditions of service.—The tenure, remuneration, terms and conditions of service including leave, pension, gratuity, provident fund and other matters as applicable to the officerrs and employees of Sree Chitra Tirunal Medical Central Society for Advanced Studies in specialities, Trivandrum immediately before the commencement of the Act, shall continue to be in force until amended, altered or repealed in accordance with the Act.
- (ii) The Standing orders, administrative instructions or directions as issued by the Director of Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society for Advanced Studies in Specialities, Trivandrum before the commencement of the Act, shall, in so far as they are not inconsistent with or until they are repealed, amended or altered in accordance with the Act, continue in force.

SCHEDULE I (Please see the Regulation No. 12)

GOVERNING BODY

- I. The business and affairs of the Institute shall be carried on and managed by he Governing Body.
- II. The Governing Body shall have all such powers and shall perform all such functions as are necessary for proper achievement or the furtherence of the objects of the Institute.
- III. Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Governing Body shall have the following powers namely:—
 - (i) to appoint and define powers and duties of all employees of the Institute;
 - (ii) to classify posts in all, categories and to lay down the qualifications for all the posts;
 - (iii) to lay down the terms and conditions of service of the employees of the Institute including methods of recruitment and appointment;
 - (iv) to lay down principles governing seniority of service of employees;
 - (v) to approve the appointment of teachers and of other academic staff of the Institute to work in any other institution or University for a specified period for undertaking a joint project, or for other purposes;
 - (vi) to decide the emoluments, conditions of service of all employees, including provision for pension, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary proceedings subject to Rule 7 of the Sree Chitra-Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Rules, 1981.
 - (vii) to delegate powers to various officers of the Institute;
- (viii) the admission of students to the Institute and their enrolment;
- (ix) to lay down the procedure and conditions for the award by the Institute of diplomas or certificates to, and for conferment of degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and for withdrawal any such diplomas, certificates, degree or other

- academic distinctions for good and sufficient cause;
- (x) to recommend conferment of honorary degrees or honorary fellowships or other distinctions by the Institute;
- (xi) approve the innstitution and award fellowships scholarships, studentships, medals and prizes;
- (xii) to cooperate or collaborate or associate with universities or institutions in such manner and for such purposes as the Institute may determine provided that in respect of collaboration with foreign or interminational institutions the prior approval of the Central Government shall be necessary;
- (xiii) to consider and accept or make appropriate changes in the recommendations of the Standing Committee on Finance or of any other committee constituted by the Institute under sub-section (5) of section 10 of the Act;
- (xiv) to appoint ad hoc committees as and when considered necessary;
- (xv) to assign from time to time such functions and duties and delegate such powers as it may deem fit to the Director;
- (xvi) to perform all such acts and do all such things as may be necessary for the proper management of the properties of the Institute;
- (xvii) to approve construction and maintenance of buildings including alteration or improvement thereof;
- (xviii) to lay down the terms and conditions for acceptance by the Institute of gifts, donations or bequests;
- (xix) to lay down terms and conditions for receipt of royalties by the Institute;
 - (xx) to enter into agreement for and on behalf of of the Institute;
- (xxi) to sue and defend all legal proceedings on behalf of the Institute;
 - ((xxii) to appoint persons on adhoc basis on such terms and conditions as it may deem fit for conduct of studies, investigations, research, teaching and other academic programmes undertaken by the Institute;
 - (xxiii) to exercise control, and discipline over the employees of the Institute in accordance with the Sree Chitra Tirunal Medical Centre Society Services Rules as existing immediately before the commencement of the Act, until the same has been altered by the Institute;
- (xxiv) to appoint, if it deems fit, delegates to represent the Institute in Conferences in India and abroad;
 - (xxv) to publish and or to finance the publication of studies, treaties books, periodicals, reports and other literature and to sell or arrange for the sale of them;
- (xxvi) to organise and to undertake extra mural studies and extension services;
- (xxvii) to create academic and other posts and to make appointments thereto, subject to the act, rules and the regulations and subject to budget provisions;
- (xxviii) to institute visiting Professorships and Honorary Professorships and make appointments thereto;
- (xxix) to acquire, hold dispose of and deal with any property both movable and immovable, belonging to or vested in, the Institute in any manner which is considered necessary for promoting the objects specified in Section 12 of the Act;
- (xxx) to borrow, on the security of the property of the Institute money for the purpose of the Institute subject to the prior approval of the Central Government;
- (xxxi) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed from time to time;
- (xxxii) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;

- (xxxiii) to regulate and enforce discipline among the students of the Institute and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;
- (xxxiv) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects specified in Section 12 of the Act.

SCHEDULE II

STANDING COMMITTEE—COMPOSITION AND FUNCTIONS

(Please see Regulation 21)

A. STANDING FINANCE COMMITTEE

Composition:

- 1. Director (Chairman):
- Financial Adviser to the epartment of Science and Technology of the Central Government or his representative (Member);
- 3. Member of the Institute representing Department of Science and Techhology, Central Government;
- 4. One member of the Institute to be nominated by the Governing Body;
- Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Institute (Ex-Officio Convener).

FUNCTIONS

The Standing Finance Committee shall meet at least once every three months to consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon;

- (1) To prepare budget estimates of the Institute and to review the accounts of expenditure and to make recommendations to the Governing Body;
- (2) To consider and make recommendations to the Governing Body on the proposals for new expenditure on major works and purchases;
- (3) To scrutinize reappropriation statements and audit notes and make recommendations there on to the Governing Body;
- (4) To review the finance of the Institute and to suggest concurrent audit conducted wherever necessary;
- (5) To give advise and make recommendations to the Governing Body on any other financial question affecting the affairs of the Institute;
- (6) All matters relating to the invitation and acceptance of tenders in respect of building, construction and purchases:

B. STANDING ACADEMIC COMMITTEE

Composition: The Academic Committee shall consist of the following:

- 1. Director (Chairman Ex-Officio);
- 2. Head, Riomedical Technology Wing ;
- 3. Three persons to be nominated by Governing Body:
 from among the Professors and Scientists of the
 Institute; and
 Such other persons, not being employees of the
 Institute, nominated by the Governing Body from
 time to time for their specialised knowledge provided
 that the total Membership of the Committee shall
 not exceed ten.

FUNCTIONS :

The Academic Committee shall meet at least once in three months and consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon:

(1) General Supervision over the academic policies of of the Institute and methods of instruction,, teaching, training, evaluation of research and improvement in academic standards;

- (2) Matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by the Governing Body;
- (3) Planning and formulation of programmes for teaching research and training in the Institute;
- (4) Appointment of eminently qualified persons as question paper setters and Panels of examiners in the subject with which the Institute deals;
- (5) Approval of courses of study, training and examinations in the subjects with which the Institute deals;
- (6) Supervision of conduct of post-graduate examinations in the subjects with which the Institute deals;
- (7) Formulation of sandards and procedures for the selection of students for post-graduate courses;
- (8) Consideration of the results of examinations and recommend candidates for award of degreees, diplomas and other academic distinctions to the Govening Body.

C. STANDING BUILDING COMMITTEE.

Composition: The Standing Building Committee shall consist of the following members:

- 1. Director (Chairman-Ex-Officio);
- 2. Head, Biomedical Technology Wing ;
- 3. Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Institute (Ex-Officio-Convener):
- 4. A member of the Institute to be nominated by the Governing Body;
- 5. A Civil Engineer to be nominated by the Governing Body; and
- A member to be coopted by the Director as and when necessary.

FUNCTIONS:

The Standing Building Committee shall meet at least once every six months to consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon:—

- (a) construction of new building:
- (b) acquisition and disposal of land;
- (c) additions or alterations and any other question relating to the maintenance and use of buildings belonging to the Institute.

D. STANDING COMMITTEE FOR SELFCTION OF SENIOR STAFF

Composition :

- 1. A scientist nominated by the President from among the members of the Institute (Chairman);
- 2. Director (Ex-Officio);
- 3. Head of the Biomedical Technology Wing of the Institute (Ex-Officio); and
- 4. A nominee of the Secretary, Department of Science and Technology of the Central Government.

FUNCTIONS :

The Standing Selection Committee on Senior Staff shall meet as often as necessary for the purpose of selecting candidates by interview or otherwise and formulate recommendations for appointment to all posts carrying a pay scale the maximum of which exceeds Rs. 750.00 p.m. provided that in every such meeting an expect from outside the Institute nominated by the President and a Senior Professor of the Institute shall be associated.

E. STANDING COMMITTEE FOR SELECTION OF JUNIOR STAFF.

Composition:

- 1. The Medical Superintendent;
- Head of the Biomedical Technology Wing of the Institute;
- 3. A representative of the Academic Wing of the Institute nominated by the Director; and
- 4. Three persons to be nominated by the President.

FUNCTIONS :

The Standing Committee for Selection of Junior Staff shall meet as often as necessary for the purpose of selecting staff by interview or otherwise and formulate recommendations for appointments to all posts carrying a pay scale the maximum of which does not exceed Rs. 750.00 p.m.; provided that in respect of selection of junior staff in the Biomedical Technology Wing of the Institute, the Head of the Biomedical Technology Wing shall be chairman of the Committee.

F. THE TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMMITTEE

Composition:

The Technology Development Committee shall consist of the following members:

- 1. Director (Chairman-Ex-Officio);
- 2. Head, Biomedical Technology Wing of the Institute;
- 3. Two Scientists of the Biomedical Technology Wing of the Institute to be nominated by the President;
- 4. Two other Scientists Technologists to be nominated from among the members of the Institute by the President; and
- 5. Three scientists to be nominated by the Governing Body fo their specialised knowledge.

FUNCTIONS :

The Standing Technology Development Committee shall meet at least once every six months to consider the following matters and make recommendations to the Governing Body thereon:

- (a) Technology Policies of the Institute and plans for research and development in relations to biomedical technology;
- (b) Introduction of methods of technology training;
- (c) Evaluation of research and development programmes relating to biomedical technology; and
- (d) Improvement in standards of scientific and technologic performance at the biomedical wing of the Institute.

SCHEDULE III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR (Please see Regulation No. 24)

- 1. The Director shall be the academic head and chief executive officer of the Institute and shall as such, be responsible for all its academic activities and for all administrative matters;
- The Director shall be responsible for implementing the decisions of the Institute and the Governing Body;
- 3. The Director shall cause to be prepared and submit the Annual Report and the Annual Accounts to the Governing Body;
- 4. In the absence of the President, the Director shall preside at the Convocations of the Institute held for conferring degrees;
- 5. The Director shall, with the approval of the President/Chairman issue notices for and convene meetings of the Institute/Governing Body and cause to be prepared Agenda for such meetings;
- 6. Subject to the provisions of the Act, and with the approval of the Governing Body, the Director shall open accounts in any Banks. He may with the approval of the Governing Body, delegate the

- powers to sign cheques to other officers of the Institute as expedient.
- 7. The Director shall have and shall exercise all powers relating to discipline and disciplinary matters in respect of the employees of the Institute in accordance with the disciplinary rules as set out in the service rules of Sree Chitra Tirunal Medical Central Society for Advanced Studies in Specialities, Trivandrum, as they existed before commencement of the Act unless altered by the Institute.
- 8 Powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students of the Institute shall yest in the Director.
- (a) Subject to restrictions, if any, as may be imposed by the Governing Body to make appointments against sanctioned posts in the Institute, carrying pay scale the minimum of which does not exceed Rs. 1700/- p.m.
 - (i) To make contract appointments for a period not exceeding one year for temporary works/assignments on a monthly remuneration of not exceeding Rs. 1700/- per month and to create posts therefore subject to budget provisions. Such appointments shall be reported to the Governing Body at its subsequent meeting and shall continue only subject to the approval of the Governing Body.
- 10. Subject to restrictions, if any, as may be imposed by the Governing Body to make promotions to posts carrying pay scales the minimum of which does not exceed Rs. 1700/- per mensem subject to the service rules regarding promotions.
- 11. Notwithstanding anything contained in this Schedule, the Director shall have all the powers vested in him under the General Conditions of Service and Personnel Conduct Rules of the Sree Chitra Tirunal Medical Central Society for advanced studies in Specialities, Trivandrum, as they existed before commencement of the Act unless altered by the Institute.
- 12. To invite tenders and to onter into contract with any party on behalf of the Institute, subject to budgetary provision, for the supply of equipment chemicals, drugs and provisions in all cases, and where the total amount of the contract does not exceed Rs. 2,00,000/-.
- To sanction distribution of budget provision under several items of expenditure.
- 14. To sanction the reappropriation of funds from one sub-head to another subject to any restriction which may be placed by the Governing Body;
- 15. To accept security Bonds in the case of employees who have to furnish Security;
- To execute agreements on behalf of the Institute wherever necessary;
- 17. To enter into contract with contrators on behalf of the Institute;
- 18. To enter into contract in respect of sanctioned minor and major works;
- 19. To sign agreement in respect of buildings taken on rent for the use of the Institute;
- 20. To sanction journeys on duty by officers of the Institute within the country:
- 21. To sanction the auction sale of usufructs of trees for a period of upto three years at a time; and
- 22. To rent building subject to conditions stipulated by the Governing Body.

[No. 17(2)/80-STP I]

V. M. KELKAR, Dy. Secy.

स्वास्थ्य श्रीर परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून 1981

सा० का० नि० 619.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगपाला, गिंडी मदास में कतिपय अराजपत्नित अनुसचिवीय और अनुसचिवीय समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

- 1. संक्षिप्त गीर्षक और प्रारक्ष : 1. इन नियमों का नाम वी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला गिडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 है। 2. ये सरकारी राजपत्न में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- 2. उपायोजन: ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम । में उल्लिखित पदों पर लागू हांगे।
- 3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनामन वंही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्म 2 से 4 में निदिष्ट हैं।
- 4 भर्ती की विधि, ग्रायुसीमा, ग्रहेतायें ग्रादि: उक्त पदों पर भर्ती की विधि, ग्रायुसीमा, ग्रहेतायें तथा श्रन्य बातें वहीं होंगी जैसा कि उक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में निर्दिष्ट हैं।
 - 5. ग्रनर्हता: कोई व्यक्ति

*कार्यभार के अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पित या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जो व्यक्ति एक पित/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्त होने का पात नहीं है|होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पदाकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 6. छूट देने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना द्यावश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा ग्रायोग के परामर्श से ग्रीर लिखित कारणों के ग्राधार पर श्रादेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।
- 7. व्यावृत्ति: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा सभय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गी के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों की किसी वात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

	·	· .			अन	ु सूची		
पद क	ा नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद श्रयवा श्रचयन पद	नया केन्द्रीय सिवित (पेंग्रन) नियमावली, 1972 के नियम 30	सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की ग्रायु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
	, , , ,		7 · · ·			के श्रंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षी का		
	·		4		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	लाभ ग्राह्य है		
	1	2	3	4	5	G	7	8
1.	कार्यालय अधीक्षक	(企业) 。 。	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' ग्रराज- - पत्नित ग्रनुसचिवीय	25-750 रुपये	ग्रचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2.	भ्रपर श्रेणी लिपिक	*3 (तीन)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' ग्रराज- पन्नित ग्रनुसचिवीय	330-10-380- द० रो० 12- 500-द० रो०-15 560 रुपये	श्र चय न : :	महीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	स्टोर कीपर	1 (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा सनूह 'ग' ग्रराज- पत्नित ग्रनुसचिवीय	330-10-380- द० रो०-12- 500-द० रो०-15- 560ह०	ग्रचयन	नहीं नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	स्टेनोग्राफर	7 (सात)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' श्रराज- पत्तित श्रनुसचिवीय		चयन	नहीं	लागू नहीं होता	् लागू नहीं होता

- 1-		***						
	1	2	3	4	5	6	7	8
 -	5. तकनीकी सुपरवाइजर (स		समूह "ग" अराज-	425-15-500 द॰ रोज-15- 560-20-700 रुपये	ग्रचयन	नहीं	18-25 वर्ष* नीट: श्रायु सीमा श्रवधारित करने की निर्णायकतारीख	वी० एस०,सी० उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जायेगी जिनके पास लैंबोरेटरी टैक्नालाजी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा है
	7 .		na na sana Tanggaran kalenda	•	,:	The second se	भारत में रहने वाले ग्रभ्याधियों से (उन से भिन्न जो ग्रंड-	अथवा मान्यताप्राप्त जीवाणु- विज्ञान प्रयोगशाला में एक वर्ष काम करने का अनुभव है।
				in vary		· . ·	मान ग्रौर निको-	नोट: अनुसूचित जाति और
			e en la		٠.	y with a	बार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) ग्रावेदन प्राप्त करने	श्रनुसूचित जनजाति के उम्मीदनारों के मामले में सक्षम प्राधिकारों के विवेक .
			e ve				के लिये नियत की गयी म्रोतिम तारीख होगी।	पर अनुभवं संबंधी अहेताएं णिथिलनीय हैं यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधि-
							*केन्द्र सरकार द्वारा	कारी का यह यिचार हो कि इन
				Y Tanaharan Tan			जारी किये गये अनुदेशों और आदे- शों के अनुसार सर-	उम्मीदवारों के लिये ग्रारक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए इन जातियों के श्रपेक्षित
			er e we we eet	2	•		कारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक शिथिल-	अनुभव रखने वाले उम्मीद- वार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
							नीय।	
-	6. वैज्ञानिक सहायक	2 [*] स (दो)	ामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" ग्रराज- पह्नित ग्रनुसचिवीय		अचयन	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		at.	\\	10-10-		होता नहीं	२० तर्गसे कम केन्द्र	ग्रनिवार्य : सांख्यिकी में श्रथवा
	7. सांख्यिकीय सहायक	1 * (एक)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" घ्रराज- पत्तित ग्रननु- सचित्रीय	425-15-500- द० रोठ-15- 560-20-700 रूपये	लागू नहीं	हाता गहा	सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों ग्रीर ग्रादेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के	गणि तशास्त्र में सांख्यिकी सहित मारटर्स डिग्री अथवा ग्रेजुएट जिसकी किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी कार्यालय में आंकड़े संबंधी कार्य में तीन
		gginer i e e e e e e e e e e e e e e e e e e		<u>.</u> x	नोट : ' तारीख	ग्रायुसीमा ग्रवधा भारत में रहने	मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय। रित करने की निर्णायक बाले अभ्याधियों से (उनसे	वर्ष का ग्रनुभव हो । नोट: त्रनुसूचित जाति ग्रीर ग्रनुसूचित जनजीत के उम्मीद- वारों के मामले में सक्षम
	<i>:</i> · ·				দিন্ন ^হ লক্ষ ন্ত্ৰী	जो ग्रंडमान ग्रीर	िनकोबार द्वीपसमूह तथा विदन प्राप्त करने के लिये	प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संवन्धी अर्हताएं शिथि- लनीय हैं यदि चयन की किसी अवस्या में सक्षम प्राधिकारी
	. 45	e te f	ill for i	i r			e e o précisione Précision de Profit de la précision	का यह विचार हो कि इन उम्मीदवारों के लिये ग्रारक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए इन जातियों के ग्रंपेक्षित अनु-
	1. 4		process				i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	इन जातिया के अपासत अनु- भव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
						* W		

1	2	3	; 4	5	6	7	8
8 तकनीःशियन	2*	सामान्य केन्द्रीय	सेवा 380-12-500-	भ्रचयन	नही	30 वर्ष से कम केन्द्र ए	एस० एस० एल० सी० प्रथवा
	(दो)	समूह "ग"	द० रो०-15- 560/-च्पय			सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों	समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो : एयर कंडीशनिग/रेफरीजरेशन
						ग्रीर ग्रादेशों के ग्रनुसार सरकारी	श्रथवा मेकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा।
						कर्मचारियों के	ग्रनुभव: फीज ड्रायर, डीप,
	.*			1 . 1		मामले में 35 वर्ष तक शिथिलनीय ।	फीजर रेफरीजरेशन स्रौर म्रन्य चिकित्सा प्रयोगणाला
		. Ye .				नोट : भ्रायूसीमा ग्रव-	उपकरणों का इस्तेमाल, रख-
		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			धारित करने की निर्णा- यक तारीख भारत में	रखाव भौर मरम्मत करने क कम से कम तीन वर्ष का प्रनुभव
				\$ *		रहने वाले ग्र भ्या- र्थियों से (उनसे	नोट: श्रनुसूचित जाति श्रौर श्रनुसूचित जनजाति के सम्मीद-
				•		भिन्न जो भ्रंडमान	वारों के मामले में सक्षम
•		-				स्रौर निकोबार द्वीप- समृहं तथा लक्षद्वीप	प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताएं शिविः
			· .			में रहते हैं) म्रावेद न	लनीय हैं यदि चयन की किसी
		: :	-	ı		प्राप्त करने की लिये नियत की गयी	श्रवस्था में सक्षम प्राधिकारी का यह विचार हो किः इन
		• • • • • •				श्रंतिम तारीख होगी।	उम्मीदवारों के लिय श्रार क्षित रिक्त पदों को भरने के
		5	•				लिय इन जातियों के श्रपेक्षित
							अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
	111						की संभावना नहीं है।
9. केग्ररटेकर	1*	सामान्य केन्द्रीय	सेवा 330-10-380-	लागू नहीं	नहीं	18से 25 वर्ष सरकारी	ग्रनिवार्य :
	(एक)	•••	ाज- द० रो० -12- व- 500-द० रो०- 15-560/-एपय	होता			 मेट्रिक श्रयवा समकक्ष परीक्षा मान्यताप्राप्त संस्थान से सनिर्टेशन में डिप्लोमा
	₹	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			;	नोट: ग्रायुसीमा ग्रव-	
		: ·				धारित करने की निर्णायक सारीख	
÷ .	· ·	ı				भारत में रहने वाले	
	-		to en			ग्रभ्यियों से (उन से भिन्न जो ग्रंडमान	
						ग्रौर निकोवार द्वीप-	
		e estate de la companya de la compa		4		समूह में रहते हैं) ग्रावेदन प्राप्त करने	
						के लिय नियत की	
	.*					गयी श्रंतिम तारीख होगी।	

लिए विहित स्रायु हो	वधि यदि कोई I	या पदोन्नति नियुक्ति/स्थ	। द्वारा श्रथवा प्रति- थानांतरण द्वारा	द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोज्ञति/प्रति-	संरचना	भर्ती करने में किन [परिस्थितियों भें संघ लोक सेवा आयोगा से परामर्श
प्रौर शैक्षिक म्रह्ताएं 🦈			मन्न पद्धतियों द्वारा वाली रिक्तीयों की	-		किया जाए गा
गोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	77.	्रमरा जान प्रतिशतता			ige to a ≇	
9	10		11	12	13	14
नागू नहीं होता द		पदोन्नति द्वारा	ऐसान हो सकने पर	पदोन्नति :	1. निदेशक, बी० सी० जी०	लागू नहीं होता
ary and dam	•	प्रतिनियुक्ति	पर स्थानांतरप			
		द्वारा		नियमित सेवा	2. दो उप-सहायक निदेश	क,
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		· i		प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :	बी० सी० जी० वैक्सीन	
		200 - Park		केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन काम	प्रयोगशाला गिंडी, मद्रास-	–सदस्य
				करने वाले कर्मचारी जो समान	3. सीनियर सहायक निदे-	
in a state of the		gen ja tikt til man. Nama		पदों पर कार्य कर रहे हों ग्रथवा	शक, किंग इंस्टीट्यूट,	
a pagaga ana ayaa ah ah ah	·			425-700 रुपये के वेतन-	तभिलनाडु सरकार	
$= \{ (x,y) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbb{R}^{n+1} \mid y \in \mathbb{R}^{n+1} \}$	A Total Contract	grant transfer		मान ग्रथवा समतुल्य वेतनमान	गिंडी मद्राससदस्य	
an elim emiger a	11.			में पांच वर्ष की सेवाकर चुके		
a nggas alah melanggan		e di je		हों ग्रीर प्रशासनिक/लेखा		
gget (f. 1515 - 1515)	*			संबंधी कार्य का ग्रनुभव रखते हों (साधारणतया तीन वर्ष		
ror - 1 de la Committa		nga ing kalang		हा (साधारणतया तान वर्ष से ग्रधिक नहीं)।		
		शत प्रतिश	ਰ ਯੋਕਰਿ	- •	1. निदेशक, बी० सी० जी०	लागू नहीं होत
लागू नहीं होता व	•		ICI MIMICI	द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में कम से	वैक्सीन प्रयोगशाला, गि	
i de residio.		ं द्वारा		कम ग्राठ वर्ष की नियमित सेवा	मद्रास-ग्रध्यक्ष	-1,
on in the Att		National American			 दो उप-सहायक निदेशक बी 	,
医克雷氏征 电	i û	G Company		., .,	सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला	
្នាស់ មានបញ្ជាក់ បានប្រាស់	1.50	1. 4.2			गिंडी, मद्राससदस्य	
greing is the least	. ,				 सहायक निदेशक (सीनियर) 	
- grand de la compa	-21		•		किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु	
an ing kanalasi in					सरकार, गिंडी, मद्रास—– सद	
्लागू नहीं होता व	नो वर्ष	पदोन्नति द्वार	τ	ग्रवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नित		
				द्वारा जिन्होंने इस ग्रेड में कम		त
- 1 Tungs-244711	177			से कम ग्राठ वर्ष की नियमित	सदस्य होंगे ।	
				सेवा की हो ग्रौर जिसमें से एक		
		1 11 11	,5	वर्ष का ग्रनुभव स्टोर को चलाने	वैक्सीन प्रयोगशाला,	ma i
, .				भीर स्टाक रजिस्टरों की रखने		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				का होना चाहिए ।	2. दो उप-सहायक निदेशक, बी० सी० जी० वैकसीन	
	* * * *	er er		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	वार्ग्यार जार्ग्य विकसान प्रयोगशाला गिडी, मद्रास	
	•				अवापशाला (पडा, मद्रात सदस्य	
					3. सहायक निदेशक (सीनि-	
	. • '	H., . *			यर) किंग इंस्टीटीयूट,	
	1.3	* * ₁			तमिलनाडु –सरकार	
	;	* ************************************			गिंडी, मद्रास—सदस्य	
च्या क्यों बोद्ध	दो वर्ष	पदोन्नति इ	ारा	330-560 रुपये के देतनमा		ाति लागु नहीं होत
लागू नहीं होता	41 77	141400	*	काम करने वाले स्टेनोग्राफरों	***	6 6.64
		ang erin ing P		की पदोन्नति द्वारा जिन्होंने	. लिखित सदस्य होंगे :	
	.*	erin Territoria		बी० सी० जी वैक्सीन प्रयोग-		
				शाला, गिंडी, मद्रास में पांच	वैक्सीन प्रयोगशाला,	
		ត់ក្រុកាសា •		वर्ष की नियमित सेवा की हो ।		
		· · · · ·			2. दो उप-सहायक निदेशक,	
	, -	- 77 777 7			बी.सी.जी. वैक्सीन	
	^	医抗骨髓坏疽			प्रयोगभाला निडी, मद्रास	
					सदस्य	
						-)
				t - 17	3. सहायक निदेशक (सीनिय- किंग इंस्टीटयूट तमिलन	,

9	10		11	12	: 13	. 1	14
नागू नहीं होता	2 वर्ष	25 प्रतिशत प प्रतिशत सीधी	दोन्नति द्वारा 75 अर्वी द्वारा।	वैज्ञानिक सहायकों की पदोन्नति द्वारा जो इस ग्रेड में कम से कम			लागू नहीं होत
	* i = 141	MUMU (IIM)	10181011	पांच वर्ष की नियमित सेवा		···IIIIIIII	
	*			पूरी कर चुके हों।	 निदेशक, बी० सी० जी 	to	
	2 4			X11.41.21.61.1	वैक्सीन प्रयोगशाला,	10	
					गिंडी, मद्रास—ग्रध्यक्ष		
					2. दो उप सहायक निदेश		
			,		बी० सी० जी० वंबर्स	नि	
		* + \$			प्रयोगशाला, गिंडी,		
	1:				मद्राससदस्य	_	
	4 - * *				3. सहायक निदेशक (सीर्ी		
					यर) किंग इन्स्टीट्यृ	्ट,	
					तमिलनाडु सरकार,		
					गिंडी, मद्रास-–सदस्य		
ाग नहीं होता	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा	-	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों में	समूह "ग" विभागीय प्रोन्निर	ा लागूनहीं ह	होता ।
•				से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस	समिति जिसमें निम्	त-	
				पद पर कम से कम पांच वर्ष	लिखित सदस्य होंगे :-		
				की नियमित सेवा की हो ग्रीर	1. निदेशक, बी० सी० ज	îl o	
			*	जिन्होंने एस० एस० एल० सी०	वैक्सीन प्रयोगशाला,		. t.C
				या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण	गिंडी, मद्रास-ग्रध्य	•	
1			**	की हो।	2. दो उप सहायक निदेश		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				बी० सी० जी० वैवसी		
1 6					प्रयोगशाला गिडी, मद्रार		
		t	April 1997	10 mg (10 mg)	 निदेशक, किंग इंस्टीट्य् 		
		Office Agency		. '		•	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				10 mm - 10 mm	तमिलनाडु सरका		2
	$(1, \dots, n) \in \mathbb{N}^{n} \times$				गिंडी, मद्रास—सदस्य	·	
ागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती दारा		'लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्ना समिति जिसमें निम्		ï होता
	•				लिखित सदस्य होंगे :	_ . , ,	,, ,
	z talonyk			the transfer of the	1. निदेशक, बी० सी०		1, 1
15		1	il e i e e	.4	वैक्सीन प्रयोगशाला,		• .
	the state of	. F. 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	गिडी, मद्रास ग्रध्य		Militaria. Grafonia e
				10	2. दो उप सहायक निदेश		
e :				,	बी० सी० जी० वैक्सी		
		1.5		្រុំ គ្នាស់។ ក្នុងស	प्रयोगशाला, गिडी,		hara S
			· •	en e	भद्राससदस्य	ina in in in Est model	
	+ F +		•	Commence of the second	नदास—स्तरस्य 3 सहायक निदेशक,	for the second	
		•	1 4 1			L.	12 171
			-	~ ·	(सीनियर) किंग इंस्टी		
			••		ट्यूट, तमिलनाडु सरका		
	م يتد وير				गिंडी, मद्रास—सद		
ागू नहीं होता	दो वर्ष			वी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोग- र			ता े
		सीधी भर्ती द्वार	π	शाला, गिडी मद्रास में काम	समिति जिसमें निम्न	,	•
-1				करने वाले उन मकेनिकों की	लिखित सदस्य होंगे :	=	
				पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस	1. निदेशक, बी० सी८ जी	ø	
			the Robert		वैक्सीन प्रयोगशाला	,	
			- 11.7 * f*.	सेवा की हो।	गिडी, मद्रासग्रध्यक्ष		
			• नव्य	•	2. दो उप सहायक निदेशक	ī,	
			and the second		वी० सी० जी० वैक्सीन		
		17			प्रयोगशाला, गिंडी,		
	and the second			والانتاج الفارخي	. मद्राससदस्य		
	10 miles					r- ***	
;							
					3. सहायक निवेशक (सीनि		•
					 सहायक निवंशक (सानि यर) किंग इंस्टीट्यूर तमिलनाडु सरकार, 		•

9 :	10	11	12	1 13 14		
लाग नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं हो समिति जिसमें निम्न- लिखित सवस्य होंगे :—	ता	
	. 1			 निदेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास—-श्रध्यक्ष 		
				 दो उप सहायक निवेशक, बी० सी० जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, 		
				मद्रास—सदस्य 3. निदेशक, किंग इंस्टी- द्यूट गिंडी, मद्रास		
		.*		तमिलनाडु सरकार—सदस्य		

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th June, 1981

G.S.R. 619.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted Ministrial & non-Ministerial Group 'C' posts in the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely:—

- Short title and commencement :—(1) These rules may be called the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guiny, Madras (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in Column I of the Schedule annexure to these rules.
- 3. Number of posts, Classification and scale of Pay:—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of Recruitment, age limit and qualifications etc.:—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification-No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

S. Name of post No.	posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non- Selection Post	Whether benefit of added years admis- sible under rule 30 of the CCS (Pension) rules 1972)	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3.	4	5	6	7	8
Office Superintendent	*1 (one)	General Central Service Group 'C' Non- gazetted Ministerial.	Rs. 550-20- 650-25-750	Non- Selection	No	Not applicable	Not applicable

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Upper Div sion Clerk		General Central Service Group 'C' Non- Gazetted Ministerial	Rs. 330-10- 380-EB-12- 500-EB-15- 560.	Non- Selection	No	Not Applicable	Not Applicable
	Store keep- er	*I (one)	General Central Service Group 'C' Non- Gazetted Ministerial	Rs. 330-10- 380-EB-12- 500-EB-15- 560.	Selection	No	Not Applicable	Not Applica bl
	Stenogra- pher (Senior	*1) (one)	-Do-	Rs. 425-15- 500-EB-15- 560-20-700.	Selection	No	Not Applicable	Not Applicable
	Technical Supervisor	*7 (seven)	-Do-	Rs. 425-15- 500-EB-15- 560-20-700	Selection	No	18—25 years* Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than in Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep). *Relaxable upto 35 years in the case of Govt. servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government.	experience in bacterio- teriological work in a recognised Bacterio- logical Laboratory. Note: The qualifica- tion regarding ex- perience is relaxable at the discretion of the competent autho- rity in the case or of candidates belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribes if at any stage of selec- tion the competent autho- rity is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possess- ing the requisite ex- perince are not likely to be available to fill
	Scientific Assistant	*2 (Two)	-Do-	Rs. 330-10- 380-EB-12- 500-EB-15-	Non- Selection	No	Not Applicable	up the vacancies re- served for them. Not Applicable
A		(one)	Service Group	560. Rs. 425-15- 500-EB-15- 560-20-700.	Not Applicable	No	Below 30 years Relaxable upto 35 years in case of Govt. servants in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be	Essential: Master's Degree in Statistics or in Mathematics with Statistics or graduate with 3 years experience or handling Statistical material in a recognised Statistical Office. Note: The qualification(s) regarding

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 4, 1981/ASADHA 13, 1903 1538 8 4 5 6 1 2 3 the closing date for experience is relaxreceipt of applicaable at the discretion tions from candidates of the competent in India (Other authority in the case than those in the of SC/ST candidates Andaman & Nicoif, at any stage of bar Islands & Lakselection the competent authority is of shadweep) the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies up reserved for them. Passed S.S.L.C. Nο Below 30 years Re-General Central Rs. 380-12-Non-8. Technician 500-EB-15-Selection Iaxable upto 35 years equivalent. Service Group (Two) 560. in the case of Govt. Qualification: Diploma servants in accordin Air Conditioning/ ance with the in-Refrigeration or structions and orders Mechanical Engineerissued by the Cening. tral Govt. Experience: At least 3 Note: The crucial years experience in date for determinrunning and maintaining and repairing the age limit shall be the closing ing of Mechanical & date for receipt of Electrical Equipments applications from such as Freeze Dryers. candidates in India Deep Freezer, Refri-(Other than those gerations and other in Andaman & medical laboratory Nicobar Islands and equipments. Lakshadweep). Note: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to SC/ST if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Essential: General Central Rs. 330-10- Not No 18 to 25 years Relaxable upto 35 1. Matriculation or Service Group 380-EB-12-Applicable (One) years in the case of equivalent. 500-EB-15-'C' Non-2. Diploma in Sanita-560. Govt. servants. Gazetted, Nontion from a recog-Ministerial

Note: The crucial

date for determining the age limit shall be the closing

nised Institution.

*Subject to variation depending on worklead.

[भाग II—खण्ड 3 (i	/1	HI	रत का राजपत्न : जुलाई 4, 1981/	आपाढ़ 13, 1903 ————————————————————————————————————	1539
1	2	3 4	5 6	7	8
				date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	
	<u> </u>			Lakshauweepy.	
,					
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Probation	Method of rectt. whether by direct rectt. or by dep- utation/transfer and per- centage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	what is its compo-	Circumstances in which U.F S.C. is to b consulted i making recruit ment.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·
9	10	11	12	13	14
1. Not Applicable		which by transfer on deputation	years regular service the grade. Transfer on deputation: Officer under the Cent Govt. holding analog posts or with five ye service in the post in scale of Rs.425-700 equivalent scale perience in administrati accounts matters. (O narily not exceeding 3 years)	in cine Laboratory —Chuirman 2 Two Deputy Assistant Directors B.C.G. ral Vaccine Laboratory, ous Guindy, Madras ars'—Members. the 3. Assistant Directo or (Senior) King Institut ex-Guindy, Madras —Member. rdi- ears).	r e,
2. Not Applica ble	1 wo years	100% by promotion	Promotion of Lower D sion Clerks with not 1 than 8 years' regular s vice in the Grade.	ess cine Lab., Guindy, er- Madras — Chairman. 2. Two Deputy Assis ant Directors, B.C.G Vaccine Laboratory Guindy, Madras — Members 3. Assistant Directo (Senior), King Institu Govt. of Tan Nadu, Guindy, Madr — Member	t- r te nil as
	The second secon		than 8 years' regular since in the Grade of whone year's experies should be in handling st	ser- 1 Director, B.C.G. Vac ich cine Laborator nce Guindy, Madras	- , - -

	10	11	12	13	14
4. Not Applicable	Two years	By promotion	Promotion from Stenogr- phers in the scale of Rs. 330-560 with 5 years regu- lar service in the B.C.G. vaccine Laboratory, Guindy, Madras.	Group 'C' DPC comprising of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory Guindy, Madras —Chairman	Not Applicable
				 Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras —Members 	
				3. Assistant Director (Senior), King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras —Member	
•• ••					
5. Not Applicable	Two years	25 per cent by promo- tion; 75 percent direct recruitment	Promotion from Scientific Grassistants with at least 5 years regular service in the Grade.	1. Director, B.C.G. Vac- cine Laboratory, Guindy, Madras	f: Not Applicabl
<i>(1)</i>				Chairman. 2. Two Dy. Assistant Directors, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras Members	
		のは Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Mari		3. Director, King Insti- tute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras —Member	
	2.5				
	* :		Description from Senior Lab	Grown 'C' DPC compris-	Not Applicable
6. Not Applicable	e Two years	By promotion	Promotion from Senior Laboratory Assistants with not less than 5 years regular service in the post and possessing not less than a pass in S.S.L.C. or equivalent examination.	ing of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy,	Not Applicable
6. Not Applicable	Two years	By promotion	oratory Assistants with not less than 5 years re- gular service in the post and possessing not less than a pass in S.S.L.C. or	ing of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy,	Not Applicable
 Not Applicable Not Applicable 			oratory Assistants with not less than 5 years re- gular service in the post and possessing not less than a pass in S.S.L.C. or	ing of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Members 3. Director, King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras — Member Group 'C' DPC compris-	
			oratory Assistants with not less than 5 years re- gular service in the post and possessing not less than a pass in S.S.L.C. or equivalent examination.	ing of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Members 3. Director, King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras — Member	
			oratory Assistants with not less than 5 years re- gular service in the post and possessing not less than a pass in S.S.L.C. or equivalent examination.	ing of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Chairman 2. Two Deputy Assistant Directors B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras — Members 3. Director, King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras — Member Group 'C' DPC comprising of: 1. Director, B.C.G. Vaccine Lab., Guindy,	Not Applicabl ^e

9	10	11	12	13	14
Not applicable			Promotion from Mechanics of the B.C.G. Vaccine Lab., Guindy, Madras with not less than 5 years regular service in the grade.	ing.of	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2. Two Deputy Assistant Directors, B.C.G. Vaccine Lab. Guindy, Madras—Members	ī.
	1. 1956 1. 1967 (1.19 2. 1967)			3. Assistant Director (Senior), King Institute, Govt. of Tamil Nadu, Guindy, Madras—Member	
Not a pplicable	Two years By dir	ect recruitment 1	Not applicable	Group 'C' DPC comprising of:	Not applicable
			rent en	1. Director, B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras —Chairman	
				2. Two Deputy Assistant Directors, B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras—Members	
				3. Director, King Insti-	

[No. 12018/4/78-Admn. II/PH] PURNIMA JAIN, Under Secy

(स्वास्थ्य विमाग)

नई दिल्ली, 23 जून 1981

साठ काठ वि o 620: --राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय श्रीषधि मानक नियंत्रण संगठन (वर्ग 1 श्रीर 2 पद) भर्ती नियम, 1973 को श्रधिकान्त करते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय श्रीषधि मानक नियंत्रण संगठन में कतिपय समूह "कं" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रर्थात् :---

- ः ा. संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ :---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय ग्रीषधि मानक नियत्नण संगठन (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1981 है। ा (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
 - 2. लागू होना :--ये नियम इन नियमों से उपाबद अनुसूची के स्तंभ 1 में मिनिविष्ट पदों को लागू होंगे 1
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—-जनत पदों की संख्या, जनका वर्गीकरण और जनके वेतनमान वे होंगे जो जनत अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- ्रे 4. भर्ती की पद्धति, श्रायु सीमा श्रीर अन्य श्रर्हताएं :--उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा, श्रर्हताएं श्रीर उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीतर श्रनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - ं5. निरर्हताएं वह व्यक्ति, ---
 - ं(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने ग्रपने पति या ग्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; उक्त पदों पर नियुक्ति का पान नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का वह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुझेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ! 343 GI/81-4 6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना भाषश्यक या समीजीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा भायोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी छपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, भादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ढालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अमेकित है।

		~		अनुसूष			0.5 % 0 5 5
पदकानाम	पदों की संख्या	Aller State (1995) Aller State (1995) Aller State (1995) Aller State (1995)	वेसनमान	चयन पद ध्रथना ध्रचयन पद	सीध भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए श्रायु- सीमा	सवा म जाड़ गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,	सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक श्रौ श्रन्य श्रहेताए
		Grand Laguer Laguer Argines (1966) Laguer Argental Laguer Argental (1967) Laguer Argental (1967)				1972 के नियम 30 के अधीन अनुबेय	
A		·				हैयानहीं।	
1	2	3	4	5	6	7	8
 म्रोपिध नियंत्रक (भारत) 	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		2500 ₹0	चयन	50 वर्ष से ग्रिधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी:	-	आवश्यक : i) किसी मान्यताप्राप्त विशव- विद्यालय की रसायन विकान, भैषजिक रसायन विज्ञा- जैव रसायत/भेषजी/भेषजगुण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य;
	Sec. 25.	afin de la lac Survice de lac Lacin de lace			(उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोनार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) अपनेदन प्राप्त करने के	(i	i) श्रौषधि, मानकीकरण श्रीर श्रौषधि मानकों वे नियंत्रण से सम्बद्ध समस्याश्री रे नियंत्रण के सम्बद्ध समस्याश्री रे
15 (48) 22 (24) (1958)	-		•	e control of the cont	··· लिए नियतः की गईं श्रंतिमः तारीख होगी ।		या किसी ख्यातिप्राप्त समुखाः में श्रीवधियों के जिनिर्माण या परीक्षण का 15 वर्ष
) · · ·	th Book of		का अनुभव ।
				1. 17	and the state of t		टिप्पणी — 1. अर्हुता अन्यथा सुग्रहित अभ्याषिमों ने
in Salak Salak Historia Halilasi L	+1 .		in program eficie	of Commission (1) James Fil	ुँ की राष्ट्रपण । एक दोला		मामले में संब लोक सेव प्रायोग के विवेकानुसा- शिथिल की जा सकती हैं टिटपणी—2. मनुबन
a the second			to engligações d	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	The profit of the second of th	erte esta. Sul total	संबंधी श्रर्हता संघ लोक सेव
			i si i i	i lie di V	$(1, \dots, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	e sa a coa	- अनुसूचित जातियों अथव
i de la companya de La companya de la co	a Die 1	en e	risa se r	· William Style	en in de la	Marian	श्रमुस्चित जनजातिया । श्रभ्यथियों के भामले । उस दशा में शिथिल की
र अस्ति है सह)	the above as follows:					जा सकती है जब कि चय के किसी प्रकम पर सं लोक सेवा प्रायोग की यह
				7 7 44		en de la de	न्नारक्षित रिक्त स्थानों क
			The first	en eggen	o ja je nje se i je		
					journal of the second		प्रमुभन रखने वाले इस समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप

Property of the

orda o alama a 💰 🖰

2. (i) उप-श्रोषधि 7 नियंत्रक (भारत)-6 (ii) उप-श्रोषधि नियंसक (भारत) (नई श्रीषधियां)-1

50 गर्वसे अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

नहीं

टिप्पण :---ग्रायु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यधियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान श्रीर निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) भा**वेद**न प्राप्त करने के लिए नियत की गई स्रंतिम तारीख होगी।

वांछनीय :--भीषधि स्रौर प्रसाधन सामग्री ग्रधिनियम. 1940 तथा उसके अधीन नियमों के प्रशासन और/ या श्रीपधियों के विनिर्माण परीक्षण और/या श्रीपधियों के आयात और निर्यात से सम्बन्धित समस्यात्रों के निपटने का पर्याप्त अनुभव

- (क) उप-ग्रीपधि नियंत्रक (भारत) के पदों के लिए---आवस्यक:
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विण्वविद्यालय की रसायन विज्ञान/भैषजिक रसायन विज्ञान/जैव रसायन/भेषजी/ भेषजगुण विज्ञान में स्नात-कोत्तर उपाधि या समतुल्य;
- (ii) श्रीपधि मानकीकरण श्रीर श्रीषधि मानकों के नियंत्रण से सम्बद्ध समस्याश्रों से निपटने का 12 वर्ष का अनुभव।

या

किसी ख्यातिप्राप्त समुस्थान में श्रीपधियों के विनिर्माण या परीक्षण का 12 वर्ष का प्रनुभव ।

टिप्पण-1 ग्रहंताएं ग्रन्यथा सुम्रहित अभ्यशियों के मामले में संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण--- 2 धनुभव संबंधी ऋहैता संघ लोक सेवा मायोग के विवेकानुसार श्रनुसूचित जातियों श्रथवा अनुसूचित जनजातियों के ग्रध्यवियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जबिक चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा श्रायोग की यह राय है, कि इनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अध्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

वांछनीय:

भौषधि भौर प्रसाधन सामग्री मधिनियम्. 1940 तथा उसके अधीन

साधारण केन्द्रीय 1500-6-1800 ६० चयन सेवा, समूह "क" राजपत्नित

नियमों के प्रशासन और/या श्रौषधियों के विनिर्माण श्रौर परीक्षण ग्रीर/या ग्रीपधियों के ग्रायात श्रीर निर्यात से सम्बन्धित समस्याग्रों से निपटने -का पर्याप्त अनुभव । (ख) उप-श्रीपधि नियन्त्रक (भारत) (नई मौषवियां) के पद के लिए-Nake en an श्रावश्यक: www.complex.edu.complex.edu (i) (अनुज्ञप्तिधारी के लिए श्रहतास्रों से भिन्न) भारतीय श्रायुर्विज्ञान परिषद् ग्रधि-नियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 royan Strait में सम्मिलिति कोई मान्यता-प्राप्त भ्रायुविज्ञान भ्रहेता/ तृतीय अनुसूची के भाग 2 1 - - - - -में सम्मिलित शैक्षिक अर्ह-ताएं धारण करने वाले व्यक्तियों को भारतीय ग्रायुविज्ञान परिषद् ग्रधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में नियत गर्ते भी पूरी करनी चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की भेषज-English to a गुण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (iii) डाक्टरी जांच की, जिसके प्रन्तर्गत जांचों के प्रोटोकोल बनाना भी है, योजना श्रीर उपयुक्त प्रोफार्मा बनाने का 8 वर्षे का श्रनुभवः। या डाक्टरी पूर्व झांकड़ों की छानबीन का भौर "नई 湯 医水流 औषधियों" पर डाक्टरी and water the property eng internal constant जानकारी के परीक्षण का श्राठवर्ष का ग्रनुभव । $< \langle A \rangle \approx \mathbb{I}_{q^{-1}} \times \mathbb{I}_{q^{-1}} \times \mathbb{I}_{q^{-1}} \times \mathbb{I}_{q^{-1}}$ वांछनीय: ग्रीषधि ग्रीर प्रसाधन सामग्री ग्रधिनियम, 1940 के प्रशासन का magg Page 1902 श्रीर/या श्रीषधियों के विनिर्माण तथा परीक्षण का पर्याप्त अनुभव 1.150. श्रीर नई श्रीषधियों के श्रनु-मोदन के लिए प्रक्रिया और/ या श्रीपधियों के मानक बनाने का ज्ञान ।

[भारा II - खण्ड 3(i)] भारत का राजपकः जुलाई 4, 1981/प्राचादः 13, 1903-सीधे भतीरिकए जाने परिवीक्षा की श्रथ- भर्ती की पद्धति/भर्ती सेंबे होगी प्रोत्निति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण यदि विभागीयः प्रोप्तिति वाले व्यक्तियों कें धि, यदि कोई हो। या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा मर्ती की दशा वे श्रीणयां लिए निहित आयः रमानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिय्क्ति/ श्रीर गेंगिक अईताए पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने स्थानान्तरण किया जाएगा प्रोन्नति की दशा में वालीः रिक्तियों की प्रतिशतता लागू होंगी या नहीं 9 . 10 11 12 अरोज्ञति द्वारा जिसके न हो श्रायु: नहीं 2 वर्ष प्रोप्ति : ऐसे उप श्रीपधि शैक्षिक श्रहेताएं : हां सकने पर सीबी भर्ती द्वारा। निबंत्रक (भारत) ग्रौर उप भौषधि नियन्त्रक (भारत) (नई मौषधियां) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित (1) श्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेमाकी है। e de la traface de la media de sectores de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp La companya de la companya della companya del

भर्ती करने में जिल समिति है तो उसकी परिस्थितियों में संघ संरचना लोक सेवा भायोग से परामर्श किया जाएगा

13 (प्रोन्नति पर विचार करने प्रोन्नति, सीधी भर्ती के लिए) समूह "क" वि० करते समय श्रीर प्रो॰ सं॰ में निम्नलिखित इन नियमों के होंगे:--किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल सेवा ग्रायोग--ग्रध्यक्ष करते समय संघ (2) सचिव, स्वास्थ्य लोक सेवा श्रायोग मंत्रालय-सदस्य से परामर्श किया (3) संयुक्त सचिव, जाएगा । स्वास्य्य मंत्रालय--सदस्य (4) स्वास्थ्य सेवा महा-

(2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय—सदस्य (3) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक-सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन धित विभागे य प्रोप्तति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमौदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि त्रायोग इतका मनुमोदन नहीं करता है तो, ्रिकार्गीयः प्रोहतिः समिति की बैठक संव लोक सेवा सायोग के ग्रध्यक्ष, या किसी सदस्य ं की अध्यक्षताः में फिए से होगी ।

निदेशक---- सदस्य (पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह "क" वि० प्रो० सं० में निम्नलिखित होंगे :---(1) सचिव, स्थास्थ्य मंत्रा-लय-- ग्रध्यक्ष

ग्रायु: नहीं र्षेक्षिनः प्रर्हताएंः हा

दो वर्ष - - 50 प्रतिशतः प्रोन्नति द्वाराः प्रोन्नति ऐसान्ते जिसके मःहो सक्रने परः सीधी भर्ती द्वारा ; 50% सीधी tur kuttri uni şi <u>di ar</u>

भर्ती द्वारा

THE THE STATE OF T

ကိုလ်ကိုသူက ကျည်းရှိသည်။ ကောက်များသောကောင်ကောက် ကိုသမားသ

amang la balay **in** Delever na balay ng balay balah

(3) भेपज्ञ गुण विज्ञानी

(प्रोन्नति पर विचार करने (1) सहायक ग्रीविधि नियंत्रण के लिए) समूह कि विं० (भारत) प्रो० स० में निम्निनिखत (2) श्रीवः रसायमञ्जा होगै

करते समयः और नियमों के . फिली उपनस्था के संशोधित/शिथिल " करते समय संय लोक सेवा श्रायोग

त्रोन्नति, सोधी भर्ती

जिसने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष सेवा आयौरा: अध्यक्ष नियमित सेवा की है। 2 सचिव/संयुक्त सचिव,

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक स्वास्थ्यनांबालये सदस्या से परामर्श किया

n intervent of the first section of the section of List a Mild Mild (for a significa2.

3. स्वास्थ्य सेवा महानिदे- जाएगा।

श्राह्म से श्राह्म सदस्य (पुष्टि पर
विचार करने के लिए)

समूह "क" वि०प्रो०सं० में

निम्नलिखित होंगे :---

- (1) सचिव,स्वास्थ्य मृता-लय --प्रध्यक्ष
- (2) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय—सदस्य
- (3) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक--सदस्य

....

टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोत्ति
समिति की कार्यवाहियां
संघ लोक सेवा श्रायोग
के श्रनुमोदनार्थ मेजी
जाएंगी । किन्तु यदि
श्रायोग इनका श्रनुमोदन
नहीं करता है तो,
विभागीय के प्रोत्नित
समिति की बैठक संघ
लोक सेवा श्रायोग के
श्रद्धां या किसी सदस्य
की श्रद्धांसता में किर
से होगी ।

[सं॰ ए-12018/5/80-डी एम एस एण्ड पी एफ ए]

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd June, 1981

G.S.R. 620.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1973, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of certain Group A posts in the Central Drugs Standard Control Organisation in the Directorate General of Health Services, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cetral Drugs Standard Control Organisation Recruitment Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.
 - 5. Disqualifications: No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving: Nothing in these rules affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1 24.4				SCHEDU	LE		
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	б	7	8
1. Drugs Con- troller (India)	,1		125/2-2500-	on kolonia (n. 19 1800 - Paris 1961 - Paris (n. 1965)	Not excepting 50 years (Relaxable for Government servant	etti koja koja koja Mara osa koja Mara osa koja	Essential: (i) Post-graduate degree in Chemistry/Pharmaceutical Chemistry/Bio-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					upto 5 years) Note: The crucial date	- ' '	chemistry/Pharmacy, Pharmacology of a recognised Uni-
	967 (1.34 3.45 1.57 1.57	Alan Brahaman	ed gyv	·	for deter- mining the age limit		versity or equivalent (ii) 15 years experience in dealing with
	1§ 		_	3 7	shall be the closing date for receipt of applications from		problems con- nected with drugs standardisation and control of drug standards
ar talling Linear total Ar extended tal	the state of the s	wine III wa dila Delinia fi IV III wa malifi Communicati Malifa dila Tombodi			candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadeep)		OR 15 years' experience either in the manufacture or festing of drugs in a concern of repute.
	(4.2)所辞。 (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)			ı	<i>Б</i> -кымчееру		Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Com- mission in case of candidate otherwise
•	- 0.5 ck	to with browning (iii) of lactor on a control		ν,		e Africa de Locales. En la companya de la	well qualified. Note 2: The qualifica- tion regarding experi- ence is relaxable at the
	Table Alais pe Salas Ari	og ettå ut svokt 1980 syplem i g Kunskamp me Normagens Sekola utvå 1804 siplem	•	; ¹ ;	· ·		discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Sche- duled Castes and the
:	山 かりに (466年) (ダビロン) (メリニ)	ruenta (h. 1860a) 18 Euroa - J 18 Euroa 18 Euroa	÷ «			-	Scheduled Tribes if, at any stage of selec- tion the Union Public Service Commission is of the opinion that
	11 . A sa	Bala eficiji 1 to 1812. tak 1 to 1813. tak					sufficient number of condidates from these communities possessing the requisite experience

1 2 4 4 4	. 1 .3 .9 - 1 (4)	- -	5	77		0
					able to f	ikely to be avail- ill up the vacan-
	and the second		and the second s		cies rese	rved for them.
			and problems to the second			experience of
				•		stration of the
•		1.3				and Cosmetics
			- 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	and the second second		40 and the Rules
and the second of the second o	100		i de			thereunder and/ nanufacture and
		+ 1+	4.123			of drngs and/or
	and the second		28 - 4			with problems
	1		*			ted with import port of drugs.
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O				<u></u>	and ex	bott of atags.
		•	in the second		-	
Whether age and Period of	Method of rectt.	whether In ca	ase of recit. by prome-	If a DPC crists,	what ⁱ is	
educational quali- probation,	by direct rectt. or	cbyspre-stion/c	deputation/transfer. es from which promo-	its composition		in which U.P. S.C. is to be
fications prescribe if any	motion or by del	ntavoidf Ition/	deputation/transfer to			consulted in
ed for direct re-	vacancies to be	filled by be m	ıade			making rectt.
in the case of	various methods	. sért				
Promotees	<u> </u>	(Pa)				4.4
9 10	11		12	13	2 / 2	14
Age: No Educa- 2 years	By promotion	failing Pro	motion : uty Drugs Controller	1. Group 'A' D' considering pro	PC (tor motion)	Consultation with Union
tional Qualifica-	which by dire	ct recruit- :Dep (fr	adia) and Deputy Drugs	comprising of		Public Service
tions : Yes.	HOHL	Co	ontroller (India) (New	(i) Chairman/Mo	mber—	Commission
		$\mathbf{D}_{\mathbf{I}}$	rugs) with five years	Union Pub		necessary while
See The Brail See	•	ref	gular service in the grade.	vice Commis Chairman	ision—	making pro- motion, direct
on the flow of the control				(ii) Secretary, Mi	nistrv	recruitment and
4	,	ing the second		of Health-		amending / rel-
		Sylphone Comme		(iii) Joint Scoreta		axing any of
The same of the same		Algebra (1967)		Ministry of H Member.	leaith—	the provisions of these rules.
"妈妈" "我们,我们会会会们,这么		en el⊅£ John Zikin		(iv) Director Go	neral of	01 01030 10103
Note that the second		ur ing Arting. Tipinggapha	•	Health Service		
, MARA		t substituti		Member		
30 e t 1974				2. Group 'A' D		
				tion) comprisi		
Colored Barrell Colored				(i) Secretary, Mi		
The State of the State				Health-Cha		
				-		
the state of the s				(ii) Joint Secr	etary,	
and the second s				(ii) Joint Secu Ministry of I		
e o o de pode de selection de la companya de la co La companya de la co				(ii) Joint Seco Ministry of I Member	Ioalth-	
 John M. Berneller, J. Berneller, J. Berneller, D. Berneller				(ii) Joint Section Ministry of I Member (iii) Director Geometric	Ioalth-	
 John Starten Belger John Starten Belger John Starten <li< td=""><td></td><td></td><td></td><td>(ii) Joint Secr Ministry of I Member (iii) Director Ge Health S Member.</td><td>Health— eneral of ervices—</td><td></td></li<>				(ii) Joint Secr Ministry of I Member (iii) Director Ge Health S Member.	Health— eneral of ervices—	
The state of the s				(ii) Joint Section Ministry of Hondber (iii) Director Geometric Health Somether. Note: The pro-	Health— eneral of ervices— eneral of	
 John State Billion John State Billion John State J	·			(ii) Joint Section Ministry of Hamber (iii) Director Geometric Health Somether. Note: The proof the DPC	Health— eneral of ervices— expectedings relating	
The second secon				(ii) Joint Secretary of Health Secretary of the DPC to confirmation be sent to the	neral of orvices— coceedings relating a shall	·
The second secon				(ii) Joint Secretary of Health Secretary of the DPC to confirmation be sent to the Public Secretary of the DPC to Secretary of	neral of ervices— exceedings relating a shall Union ice Com-	
A second decided and a second				(ii) Joint Secretary of Health Secretary of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to servers of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to confirmation be sent to th	eneral of ervices— exceedings relating a shall Union ice Compaperoval.	
A second control of the second control of th				(ii) Joint Secrements Member (iii) Director General Health Secrements Member. Note: The proof the DPC to confirmation be sent to the Public Server mission for the Member.	dealth— eneral of ervices— enera	
The second secon				(ii) Joint Secretary of Health Secretary of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to servers of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to confirmation be sent to the Public Servers of the DPC to confirmation be sent to th	dealth— meral of orvices— poceedings relating a shall Union ice Compaperoval, these are I by the	
And the second s				(ii) Joint Secrements Member (iii) Director General Health Secrements Member. Note: The proof the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the DPC to confirmation for the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the DPC to confirmation for the DPC to con	dealth— eneral of ervices— eneedings relating a shall Union lice Compaproval, these are a fresh the DPC	ı
The second secon				(ii) Joint Secrements Member (iii) Director General Health Secrements Member. Note: The proof the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the December of the De	dealth— eneral of ervices— enera	i
A second of the				(ii) Joint Secrements Member (iii) Director General Health Secrements Member. Note: The proof the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the DPC to confirmation for the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the DPC to confirmation for the DPC to con	dealth— eneral of ervices— enera	i
The second secon				(ii) Joint Secrements Member (iii) Director General Health Secrements Member. Note: The proof the DPC to confirmation be sent to the Public Servents of the December of the De	dealth— eneral of ervices— eneral of ervices— eneral of ervices— eneral of ervices— eneral of eneral energy	ı

1	2	3	4	5 %	6	7	8 :
2. (i) Deputy Drugs Controller (India)—6. (ii) Deputy Drugs Controller (India) (New Drugs)—1.		General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	No	(a) For the posts of Deputy Drugs Controller (India). Essential: (i) Post-graduate degree in Chemistry/Pharma ceutical Chemistry/Pharma ceutical Chemistry/Pharmacology of a recognised University or equivalent. (ii) 12 years' experience in dealing with problems connected with drug standardisation and control of drug standards. OR 12 years' experience either in the manufacture or testing of drugs in a concern of repute. Note 1.: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2.: The qualifications of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for
	,						them. Desirable: Adequate experience of administration of the Drugs and Cosmetics Act and the Rules thereunder and/or of manufacture and testing of drugs and/or dealing with problems connected with Import

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 4, 1981/ASADHA 13, 1903 1550 [PART II—SEC. 3(i)] 2 3 5 1 7 8 (b) For the post of Deputy Drugs | Controller (India) (New Drugs). Essential: (i) A recognised mediin sub-section Indian Council Act, 1956. (ii) Post-graduate degree versity or valent. (iii) 8 years' experience OR 8 years' experience examination clinical tion on Drugs'. Desirable: Adequate experience of

- cal qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act. 1956. Holders of Educational qualifications included in Part II of the Third Schedule Should also fulfil the conditions stipulated 3 of section 13 of the Medical
- in Pharmacology of recognised Uniequi-
- in the planning of clinical trials including drawing of protocols of the trials and designing of suitable proforma;

in the screening of pre-clinical data and of informa-New

administration of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and/or of manufacture and testing of drugs and knowledge of procedures for approval of New Drugs and/or drawing up of standards of drugs.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

	. 2	3	4		3	0	/	8
			· 1					Note 2: The quali-
								fications regarding experience are relax-
								able at the discretion
* 1	:	÷						of the Union Public
			na na hara a na hara La na hara a na hara		•			Service Commission in
				v				the case of candidates belonging to the Sche-
			÷ 94	1 7				duled Castes and the
	1	; 1'	$N_{\rm poly} = 1/10^{11} {\rm cm}^{-1} {\rm d} {\rm d}$	6,000				Scheduled Tribes, if,
i. fr	. 1	. 1113			1 ,			et any stage of selection the Union Public
1	<u>.</u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the second	* 4				Service Commission is
				1 1	* * *		. ,	of the opinion that
								sufficient number
			en e				·	of candidates from these communities
	2 - 1	1 i						possessing the requisite
	vality in		General Community of the				•	experience are not
•		`- ·		• •			1	likely to be available
							president de la companya de la comp	to fill up the vacancies reserved for them.
9		10	11			12	13.	
								
Age: No Educational fications: Ye	Quali~	2 Years	50 percent by perfailing whicy recruitment, 5 by direct recru	by direct 0 percent		Drugs Coniia).	tro- considering p comprising of- (i) Chairman	
1 . 1		* 3	-	***************************************		acologist v		blic Ser- necessary while
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				' regular ser		ommission making promo
	•	' 1			in the	respective gra		in. tion, direct oint Se-recruitment and
							cretary,	Ministry amending/relax- -Member, ing any of the
			•				(iii) Director of Health	General provisions of Services these rules.
				*			Member	
							2. Group 'A' : considering c	•
							tion compri	
	-			. *		: .	(i) Secretary,	-
							(ii) Joint	
				:		- 1	Ministry o	of Health
		1					(iii) Director (Health Service	eneral of
			-				Note: The p	roceedings
·		,				· ;	of the OPC	
		-					confirmation sent to the	
			•			•	Public Serv	
							mission for	approval.
							If however	
								these are
							not approve	d by the
							not approve Commission meeting of	d by the a fresh the DPC
						**************************************	not approve Commission meeting of to be preside	d by the a fresh the DPC d over by
							not approve Commission meeting of to be preside the Chairm	d by the a fresh the DPC d over by an or a
							not approve Commission meeting of to be preside	d by the a fresh the DPC ed over by an or a the Union

[No. A.12018/5/80-DMS & PFA] G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

इस्वात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

1981 नई दिल्ली, 20 जून,

सा० का. ति० 621.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग क और ख पद) भर्ती नियम, 1967 में और संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

- 1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग क स्रीर ख पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम, 1981 होगा।
 - (2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को लाग होगें।
- 2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग क ग्रीर वर्ग ख पद) भर्ती नियम, 1967 की श्रनुसूची में,--
 - (क) वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रचालन) के पद से संबंधित ऋम सं० 2 के सामने, कालम 2 के ग्रंतर्गत ग्राई प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित नीट जोड़ा जायेगा, अर्थात्:---''नोट: कार्यभार के अनुसार घट-बढ़ हो सकती है।";
 - (ख) उप महानिदेशक (भूविज्ञान) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने कालम 2 के अंतर्गत आई प्रविध्टि के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा, अर्थात्:---

Tax Tax (Tax "नोट कार्यभार के अनुसार घट-बढ़ हो सकती है।"

> [फा॰ सं॰ ए-12018/6/81 खान 2] एच० एल० ग्रस्ती अवर समिव

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 20th June, 1981

- G.S.R. 621.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1967, namely :-
- 1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India (Group A and Group B posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Geological Survey of India, (Group A and Group B Posts) Recruitment Rules, 1967—
 - (a) against serial number 2 relating to the post of Senior Deputy Director General (Operations), the following note shall be added below the entry under column 2. namely :-
 - "Note: Subject to variation depending on work-load.";
 - (b) against serial number 5 relating to the post of Deputy Director General (Geology), the following note shall be added below the entry under column 2,

"Note: Subject to variation depending on work-load."

[F. No. A-12018/6/81-M. 2] H. L. ATTRI, Under Secy.

कृषि संत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1981

सां का नि 622. राष्ट्रपति, संविधान के प्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि प्रौर सहकारिता विभाग) के श्रधीन, केन्द्रीय कुक्कट प्रजनन फार्म हैसरघाटा में बढ़ई और लोहार के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बढ़ई ग्रीर लोहार समूह "ग" पद केन्द्रीय कुक्कट प्रजनन फार्म हैसरघाटा भर्ती नियम, 1981 है। 36 46 C.
 - (2) ये राजपत्न में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:---उपत पद का संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपायद्ध श्रनुमूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, श्रायु-तीमा, श्रहेतायें श्रादि:--- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, श्रायु-तीमा, श्रहेतायें श्रीर उससे संबंधित श्रन्थ वातें वे होंगी जो उक्त श्रनुसूचो के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।
 - 4. निरर्हतायें:==बह व्यक्ति==
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पर्ता जीवित है, विवाह किया है ,या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पाद नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाप के अन्य पक्षकार को लागू स्वी विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद् करके तथा संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, श्रादेश हारा, शिथिल कर सकेगी।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथ ग्रचयन पद	प्ता सीधेभर्ती व्यक्तियों के	किये जाने वाले लिये श्रायु-सीमा	सीधे भर्ती किये के लिये ऋपे ऋहेताये	ंजाने वाले क्षित गैक्षिक	न व्यक्तियों क और ग्रन्य
1	2		3	4	5	6		7	
बढ़ई ग्रीर लोहार	* ¹ एक [*] कार्यभार के ग्राध् पर परिवर्तन कि जा सकता है।	सम् _{हि} "ग" पत्नित) (अलिपिक गार	(ग्रराज-	330-8-370-10 400-द०-रो०- 10-480 रु०	लागू नहीं होता	. 21—35 वर्ष	बढ़ई के फार्म ग्रधि कार्य कर	डिप्लोमा ामान्त कुक्ट् ने का ड	संस्थान रे के साथ पा कुट फार्स है वर्ष क प्राप्त हो
									
नाले व्यक्तियों के लिये विहित श्रायु श्रीर णै- क्षिक श्रर्हतायें शोन्नति की दणा में	अवधि यदि कोई	या प्रोन्नति ह स्थानांतरण पद्धतियों हा	शारायाप्रतिनि द्वारातथावि	ोगे प्रोत्नित/प्रति युक्ति/ द्वारा भर्ती भिन्न श्रेणीयां ि जाने नियुक्ति/स्था	की दगा में वे जनसे प्रोन्नति/प्रति	समिति है तो र -		परिस्थित। लोक सेव	यों में सं एक्षायोग से
सीबे धर्ती किये जाने नासे व्यक्तियों के लिये विहित श्रायु श्रीर शै- क्षिक श्रहेतायें श्रोन्नति की दणा में लागू होगी या नहीं	भ्रवधि यदि कोई हो	या प्रोन्नति ह स्थानांतरण पद्धतियों हा	ारा या प्रतिनि द्वारा तथा वि रा भर्ती किय ों का प्रतिशत	युक्ति/ द्वारा भर्ती भिन्न श्रेणीयां वि जाने नियुक्ति/स्था	की दगा में वे जनसे प्रोन्नति/प्रति	समिति है तो र र्गा		परिस्थित। लोक सेव	में किन वीं में सं ए आयोग से क्या जाएगा

[सं० 26-4/80 एल० डी-(ii) एम० एस० खुराना, ग्रवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & . Coop.)

New Delhi, the 16th June, 1981

G.S.R. 622.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter-cum-Smith, Central Poultry Breeding Farm, Hesserghatta under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules, may be called the Carpenter-cum-Smith Group 'C' post Central Poultry Breeding Farm, Hesserghatta Recruitment Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

- 4. Disqualification: No person,---
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribcs and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

				SCHEDU	LE		14	r Final
Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non- Selection Post	Age limit for recruits	•	Educational and cations required f	
1	2	3	4-	5	6			7
Carpenter-cum- Smith	*1 (One) *Subject to va- cancies depend on work load.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazet- ted) (Non-Mini- sterial).	Rs. 330-8-370- 10-400-EB-10- 480	Not applicable	21—35 years		in working in a	
Whether age and educational quali- fications prescri- bed for direct re- cruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	motion or b transfer and of the vaca	ett, or by pro-	tion/deputation les from whic	/transfer, gra- h promotion/ ifer to be		C exists, what is composition	Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	1	0	11			12	13
Not applicable	2 years	By transfer by direct	failing which Trecruitment.	ous other cen Poultry Bre who have pu	orking in vari- tres of Central teding Farms at in at least lar service in	C.: 1. Direct 2. Senior of the l 3. One of Officer longing	position of D.P. tor—Chairman, most officer Farm—Member, outside Gazetted preferably be- to Scheduled -Member,	Not Applicable
		_ <u> ·</u>		<u> </u>				26 4/80 I D. III

[No. 26-4/80-L.D. II] M. S. KHURANA, Under Secy.

श्द्विपन

नई दिल्ली, 20 जून, 1981

सा० का० नि० 623.—इस विभाग की 24 अप्रैल, 1981 की इसी संख्या की प्रधिसूचना में समन्वेषी मास्त्रियकी परियोजना, बम्बई में वरिष्ठ संख्या की प्रधिसूचना में समन्वेषी मास्त्रियकी परियोजना, बम्बई में वरिष्ठ सकमीकी सहायक (सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों के प्रकाशन की अनुसूची के कालम 4 में वेतनमान "550-25-750-द० रो०-30-900 रु०" प्रतिस्थापित रु०" के स्थान पर "550-25-750-द० रो०-30-900 रु०" प्रतिस्थापित किया जाये।

[सं० 3-8/78-मार्त्स्यकी (प्रणा०)] एस० गुरिया, प्रवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th June, 1981

G.S.R. 623.—In this Department's Notification of even number dated 24th April, 1981 publishing the recruitment rules for the post of Senior Technical Assistant (Statistics) in the Exploratory Fisheries Project, Bombay, in column 4 of the Schedule the pay scale of "Rs. 550-25-750-EB-50-900" may please be substituted by "Rs. 550-25-750-EB-30-900".

[No. 3-8/78-Fy(Adm)] S. GURIA, Under Secy.

नौबहर और परिवहर मंत्रालय

ं (सीमा सड़क विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 जून, 1981

सा० का० नि० 624.—राप्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिओं का प्रयोग करते हुए, सीमा सङ्क विकास बोर्ड में समूह 'क' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

ा. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः--(1) इन नियमों का संक्षिप्त माम सीमा सड़क विकास बोर्ड समूह 'क' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1981

(2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

- 2. लागू होना :--ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद संख्या वर्गीकरण श्रौर वेतनमान:---उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण श्रौर उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिद्धिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पढ़ित, आयु-सीमा, अर्हतायें आदि:—जन्त पदों पर भर्ती की पढ़ित, आयु सीमा, अर्हतायें और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - निरर्ह्तायें:---वह व्यक्ति:--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने ग्रपने पति या ग्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पाव नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ग्रौर विवाह के ग्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के ग्रधीन श्रनुत्तेय है ग्रौर ऐसा करने के लिये श्रन्य ग्राधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्तिः—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना ग्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखवढ़ करके तथा संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्थ करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के ब्यक्तियों या पदों की बाबत, श्रादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति:-इन नियमों की कोई भी बात ऐसे ग्रारक्षणों, ग्रायु-सीमा में छूट ग्रौर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये ग्रादेशों के अनुसार ग्रनुसूचित जातियों, ग्रनुसूचित जनजातियों ग्रौर श्रन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना ग्रपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदो की वर्गी संख्या,	करण	वेतनमान	चयन पद ग्रथवा श्रचयन पद	सीधे भ ती किये वाले व्यक्तियों ग्रायु-सीमा	हे लिये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल से	वाले व्यक्तियों के लिये नेवा शैक्षिक ग्रीर ग्रन्थ ग्रर्ह
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:					(पेंशन) निय 1972 के निय 30 के ऋधीन ह ज्ञेय है या	ाम प्रनु-
1	2	3	4	5	6.	6(年)	7
 ग्रधीक्षण इंजीनियर (सिविल) 		'क' राजपत्नित	1500-60-1800 100-2000 হ৹) लागू नहीं होता	लागू नहीं होत	लागू नहीं होत	ता लागूनहीं होता
2. कार्यपालक इंजीनियर .(सिविल)	समूह		1 1 0 0-5 0-1 6 0 0 ই০	लागू नहीं होता	लागू नहीं होत	ा लागू नहीं होत	ता लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित ग्रायु श्रीर गैक्षिव श्रहेताएं प्रोक्षति की दशा	त हो		या प्रतिनियुक्ति/ ह रा तथा विभिन्न	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स् इत्य भर्ती की दशा में वे जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनि	े श्रेणियां - सम् युक्ति/स्था-	विभागीय, प्रोन्नति ति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
में लागृ होंगी या नहीं		वाली रिवितयों		नान्तरण किया जाएग	π		लोक सेवा श्रायोग से परामर्शं किया जाएगा
में लागृ होगों यो नहां 8 लागू नहीं होता	9 लागू नहीं होता		की प्रतिशतता 10	नान्तरण किया जाएर 11 प्रतिनिधुक्ति पर स्थान		12	लाक सर्वा झायांग से परामर्थे किया जाएगा

8	9	10	11	12	13
			(ii) ऐसा कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य, जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है; ग्रीर		सेवा श्रायोग से परा- मर्श किया जायेगा ।
		gar ⁱⁿ on a solution	. (ख) जिनके पास किसी मान्यता- प्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य है।		
		(प्रतिनियुक्ति की श्रविध सामान्यत	: 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी)		. •
लाग् नहीं होता	लाग् नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के ग्रधीन ऐसे ग्रधिकारी, जो	सागू गहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्था- नान्तरण पर नियुक्ति के लिय किसी अधि-
· :	or;		निम्नलिखित पंक्ति के पद धारण कर रहे हैं :		कारी का चयन करते समय और इन नियमों
red and the ord was the dead	·	e personal de la companya de la comp	 (क) (i) कार्यपालक इंजीनियर या समतुल्य ; या (ii) ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर, जिसने उस श्रेणी में 	i i i kana arawa i wi Majaraha i kana arawa Majaraha	के किसी उपबंध की संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श
			5 वर्ष सेवा की है; या (iii) ऐसा सहायक इंजीनियर,		किया जायेगा ।
			(III) ऐसा सहायक इजानियर, जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की है, और	a santa tanàna	
		The state of the s	(ख) जिसके पास किसी मान्यता- प्राप्त विश्वविद्यालय की सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामा	न्यतः 3 वर्षे से ग्रधिक नर्ह	ं हो गी)
1	2	3 4	5 6	6(年)	7
3. अदीक्षक पुल/सङ्क श्रेणी I	7 साधारण समूह ^{(१} स्रसिपिः	केन्द्रीय सेवा 550-20-650- 1', अराजपन्नितं 25-750 रू०	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विद्युत/यंत्र श्रेणी सर्वेक्षक सहायक	The second second second		in the transfer of Miles and Section 1995.	engent of a constant Total	
श्रेणी I	<u> </u>		The state of the Telephone Community of the state of the		
8	9	10	11	12	13
	लाग् नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ढारा	कैन्द्रीय सरकार के प्रधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/सेना इंजीनियरी सेवा/साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल या ग्रन्य इंजीनियरी सेवाग्री के	eri Bart	भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधित करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परा- मशं करना आवस्यक
			अधीक्षक पुज/सङ्क श्रेणी I या समतुल्य श्रेणी/सर्वेक्षक सहायक श्रेणी I की श्रेणी से प्रतिनियुक्ति पर स्थाना- तरण द्वारा।		होगा । • र : : : : : : : : : : : : : : : : : :
agenciae A		(प्रतिनियुक्ति की भ्रवधि सामान्य	तः तीन वर्षं से ऋधिक नहीं होगी)		

[सं० फा० 1(19)/बी आर डी बी/78] ए० एस० मूर्ति, उप सर्जिव, सीमा सङ्क विकास बोर्ड

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Border Roads Development Board)

New Delhi, the 15th June, 1981

- G.S.R. 624.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Gp 'A' and Gp 'C' posts in the Border Roads Development Board, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Border Roads Development Board Gp 'A' and Gp 'C' posts Recruitment Rules, 1981.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay...-The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.— The method of recruitment to the said posts, age limit and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

- 5. Disqualifications.—No person,—
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Powers to relax.—Where the Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Savings.—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Schedule Casts, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Superintending Engineer (Civil) in Ministry of Shipping and Transport and Executive Engineer (Civil)

BRDB

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selec- tion post	Age limit for recruits.	direct	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	qualif	tional and other ications required direct recruits
1	2	. 3	4	5	6		ба		7
Superintending Engineer (Civil)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	1800-100-	N,A.	N.A.		N.A.		N.A.
2. Executive Engineer (Civil)	4	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1100-50- 1600	N.A.	N.A.		N.A.	· ·	N.A.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any	on, ther by direc motion or by transfer and of the vac	rectt. whe- ct or by pro- deputation/ I percentage ancies to be ious methods	tion/deputa des from v	rectt, by prome tion/transfer gr which promotion transfer to be ma	a- 1/	a DPC exists, its compositi		Circumstances in which U.PS.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10)		11		12		13
N.A.	N.A.	By transfer o	n deputation	Officers un State Gov of the rar (a) (i) Sup neer of (ii) Executi equivale service	erintending Eng r equivalent; or	i- or s'	N.A.		The UPSC shall be consulted while selecting an officer for appointment on transfer on deputation and amending/relaxing any of the provision of these rules.

1558	THE	GAZETTE OF	INDIA:	JULY 4,	1981/ASADHA 13	5, 1903	[PAR	T II—SEC. 3(i)]
8	9	10			11	12		13
			i	Engineer gnised equivale	ing of a reco		÷	
•			((Period of c	leputation shall			
				ordinarily years).	onotaexceed: 4.46			
.A.	N.A.	By transfer or			deputation: ler: the Central/	N.A.+.	•	The UPSC shall be consulted
		·		State Gov	ts. holding posts			while selecting
				of the rank	cutive Engineer			an officer for appointment on
					valent; oran			transfer on
	4				xecutive Engineer			deputation and
					years' service in			amending/relax-
		•	**		le; or:		P - +	ing any of the
					Engineer with	2.0	•	provisions of
	* .	i.			s' service in the			these Rules.
					ind ·			e de la companya del companya de la companya del companya de la co
	1.41 595	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•		ing degree in civil	***	The s	•
. "		To Philosophy 1999	1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nised u	ring of a recog- niversity or equi-	*. * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	44772 . 1	1.	****	valent.			٠	and the second
				•	deputation shall			
n a san an in a				years).	not exceed 3	-	3 B	1 4.4
Recruitment	rules for	the Technical Of	ficers/Staff E		B.R.D.B. for Techn	ical Examination	on of Wo	orks
Name of post	No. of	Classification		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Age limit for direc		Education	
Traine or post	posts	:	,	Selection post or	recruitment	benefit of added	qualific for di	cations required
		4.5		non-selec-		years of		100.010.
		!		tion post		service admissible		
						under Rule 30 of CCS		
						(Pension)		
					and the second second	Rules,		+ 1
					+ 1 - 1	1972		1
1	2	3	4	5	6	6a		7
Supdis. B/R	7	General Central		N.A.	Not applicable	Not applies t	ole N	ot applicable
Grade I E/M		Service Group C	650-25-750					•
Grade I		Non-Gazetted				•		
SA Grade I		Non-Ministerial						
Whether age and	Period	of Method of re	ectt. whether	In case of	f rectt. by promo-	If a DPC exist	s. what i	is Circumstances
educational quali-					tation/transfer gra-	its composit		in which U.P
fications prescri-	if any	promotion	or by depu-	des from	which promotion/	•		S.C. is to b
bed for direct re-			r and percen-	deputation,	transfer to be made			consulted i
cruits will apply		tage of the va						making rect
in the case of pro- motions	_	filled by vario	ous methods					
8	9	10			11	12		13
Not applicable	Not applica	By transfer ble	on deputation	from th B/R Gra	er on deputation e grade of Supdis. ade I or equivalent	Not applicable	,	Consultation with UPSo shall be necessity
				Grade/S Central	A. Grade I from Public Works			sary whi amending/any
				Departn	nent/MES/GREF			provision
-					r Engineer Services Central Government			the recruitme
• •				(Period o	of deputation ordi-			rules.
					not exceeding three			
				years).				

(बत्तन बक्षः) -

नई दिल्ली, 22 जून, 1981 🧽

सा०फा०िन० 625. — केन्द्रीय सरकार महा पत्तत न्यास अधिनियम; 1963 (1963 का 38) की धारा 13 के साथ पिठत धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अस्तियों का प्रयोग करन हुए इस अधिसूचना के हारा सीमा भुक्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपर समाहर्ता (सीमा अक्क) तथा केन्द्रीय उत्पादशुक्क, गोग्रा को मार्मुगाग्रा पत्तन के न्यासी वोर्ड का न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन महालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संग्रां साकार करती है, अर्थात्ः—

उक्तः श्रविसूचनाः में अम संकार के सामने उप समाहर्त्ताः (सीमाशुल्क) मार्मुगाश्रो प्रविध्यिके स्थान पर' स्रपर समाहर्ताः (सीमाः शुल्क) तथा स्थिनिय उत्पादशुल्क, गोधाः प्रविध्य रखी जाए ।

[फा०सं०:पी डक्स्यू/पीः, टी बी---33/81] फा०सं० पी डब्स्यू/पी टी वी--10/79]

(Ports Wing)

New Delhi, the 22nd June, 1981

G.S.R. 625:—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 3, read with section 13, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Additional Collector of Customs and Central Excise, Goa, as a Trustee to represent the Customs Department, on the Board of Trustees of the Port of Mormugao and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No G.S.R. 165(E), dated the 31st March, 1980 namely:—

In the said notification, against Serial Number 4, for the entry "Deputy Collector of Customs, Mormugao", the entry "Additional Collector of Customs and Central Excise, Goa", shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-33/81] [F. No. PW/PTB-33/81]

नई दिल्ली, 23 जून, 1981

सांकारं भि 626.— केन्द्रीय सरकार, महायत्तन न्यास म्रक्षित्यम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के साथ पठित धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन न्यास) न्यासियों की फीस ग्रीर भत्तों का संदाय) भियम, 1981 का निम्नलिखित प्रारूप प्रकाशित करना चाहती है जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (2) में ग्रेपेक्षित है, प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस ग्रिधिसूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की ग्रविध की समाति पर या उसके प्रथात् विचार किया जाएगा।

उपरोक्त स्रवधि की समाप्ति के पूर्व गियमों के उक्त प्रारूप की वाबत जो भी स्राक्षेप या सवाय किशी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सिरकार उन पर विचार करेगी।

नियनों का प्राच्य 🧃

- 1 संक्षिप्त नाम और लागू होना:---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 है।
 - (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- (3) ये ग्राधितियम की घारा 18 के उपवन्धों के ग्रिक्षीन रहन हुए, कलकत्ता; मुस्बई, मद्रास; कोचीन; विशाखापत्तम, कांडला मोरमुगात्रों, पारावीप; सूतीकोरिन श्रीर नव मंगलीर के पत्तन न्यास बोर्डो को लागू... होंगे हा
- 2. परिभाषा: अञ्जय तक कि. संदर्भः से. श्रन्यथा श्रपेक्षित त हो (क) अश्रियम से महापत्तन त्यास श्रिशिनयमः 1963 (1963 का 38 श्रिभिन्त प्रेत है।
- (ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों के वही श्रर्थ होंगे जो श्रिधिनियम सें हैं।
- 3. संदेय फीस—चोर्डःकालप्रत्येक न्यासी∷जो ग्रध्यक्ष से और उपाध्यक्ष से भी जहां वह नियुक्त किया जाता है, भिन्न है या कोई ग्रन्य श न्यासी जो सरकार काल्सेवक है या बोर्ड काल्सेवक है, निम्नलिखित, फीस कालहकदार होगा—⊷
- (i)) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष श्रिधवेशनों से उपस्थितः होने के लिए पचास रुपए ः
- (ii) किसी सिमिति के प्रत्येक ऐसे ग्रिविशान में उपस्थित होने के लिए तीस रुपये जो बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशनों के ऋम में या उसकी तैयारी में एक ही दिन में हुए सिमिति के ग्रिधिवेशन से भिन्न है:

परन्तु किसी कैलेंडर मास के दौरान हुए बोर्ड के ग्रिश्विशनों ग्रीर/-या समिति के ग्रिधिवेशनों की वाबत किसी न्यासी को संदेय फीस की-कुल रकम कलकत्ता ग्रीर मुम्बई पत्तनों की दशा में दो सौ क्षए ग्रौर ग्रन्य पत्तनों की दशा में पत्तास क्ष्पए से ग्रिधिक नहीं होगी।

टिप्पण: बोर्ड या उसकी समिति के किसी ग्रधिवेशन में या के लिए उपस्थित न्यासी इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक या रजिस्टर में ग्रपने नाम का हस्ताक्षर करेगा।

- 4 याता भत्ते का संदाय (1) ऐसे न्यासियों से भिन्न जो सरकार के या बोर्ड के सेवक हैं, वाहर के ऐसे सभी न्यासी जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं, नियम 3 के अधीन संदेय फीस के अतिरिक्त याता भत्ता उस मापमान पर प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों की संदेय हैं।
- (2) ऐसे न्यासियों से भिन्न जो सरकार के या बोर्ड के सेवक हैं, वाहर के ऐसे सभी न्यासी जो बोर्ड के या उसकी किसी समिति के किसी अधिवेषान में उपस्थित हो रहे हैं वाहर के ऐसे न्यासी ऐसी फीस के जो नियम 3 के अधीन संदेव है, और याता भत्ते के अतिरिक्त बोर्ड या समिति के अधिवेषान और मुख्यालयों तक और वापसी तक की गई याता की अविध के लिए दैनिक भत्ते के भी ऐसी दर से हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों को लागू हैं।
- टिप्पण (i) दैनिक भक्ते के प्रयोजन के लिए, निकटराम संभव मार्ग द्वारा और बोर्ड या समिति के अधिवेशन के स्थान पर और मुख्यालय से याता की अवधि मानी जाएगी।
- टिप्पण (ii) इस नियम के प्रयोजन के लिए मुख्यालय न्यासियों के प्रसामान्य निवास स्थान होंगे।
- 5. किसी ऐसे न्यासी को जो सरकार का सेवक या बोर्ड का सेवक है, कितप्य भत्तों का संदाय:—कोई ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक या बोर्ड का सेवक है और जो बोर्ड के या उसकी सिमितियों में से किसी के किसी अधिवेखन में उपस्थित होता है वह सेवा नियमों के ऐसे उपबन्धों के अनुसार जो उसे लागू हो, याता भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 6. किसी न्यासी को जो संसद सदस्य है या राज्य के विधान मंडल का सदस्य है, कितपथ भत्तों का संदाय:— नियम 3 ग्रीर 4 में किसी

वात के होते हुए भी, ऐसा न्यासी जो संसद का या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य है, संसद (निरहता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में यथापरिभाषित प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न या ऐसे भत्तों से यदि कोई हों, जिन्हें किसी राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य राज्य विधान मंडल की सदस्यता की निरहता निवारण से संबन्धित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, ऐसी निरहता उपगत किए विना प्राप्त करता है, भिन्न किसी फीस या हकदार नहीं होगा।

- 7. निरसन ग्रीर व्यावृत्ति:—इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से इससे जपावद्ध प्रनुसूची में विणित नियम इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उबत निययों के प्रधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाई या किया गया कोई स्रादेण या किया गया कोई निवेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्ध के प्रधीन यथास्थिति, की गई, किया गया या दिया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(नियम 7 देखिए)

ऋम संख्या निरसित नियमों के नाम

- 1. महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस श्रीर भत्ते का संदाय) नियम, 1964
- मारमुगाग्रो पत्तन न्यास (न्यासियों को फीस ग्रीर भत्तीं का संदाय)
 नियम, 1964
- 3. परादीप पत्तन न्यास (न्यासियों को फीस ख्रौर भत्तों का संदाय) नियम, 1967
- 4. मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस ग्रीर भत्तों का संदाय) नियम, 1975
- कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस ग्रौर भत्तों का संदाय) नियम, 1975
- मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस ग्रीर भत्तों का संदाय नियम, 1975
- 7. तूतांकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासी को फीस ग्रीर भत्तों का संदाय) नियम, 1979
- 8. नव मंगलोर पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1980

 $[\hat{q}_{1}^{\prime} \circ | \hat{s}$ ब्ल्यू \hat{q} पीजीएल-25|80]एम \hat{q} ग्रार \hat{q} थवाल, ग्रवर सचिव

New Delhi, 23rd June, 1981

G.S.R. 626.—The following draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred on it by sub-section (1) of section 122 read with section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963). is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft, before the expiry of the said period, will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

- 1. Short title and Application.—(1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Act, apply to the Port Trust Boards of Calcutta, Bombay, Madras, Cochin, Visakhapatnam, Kandla, Mormugao, Paradip, Tuticorin and New Mangalore.
 - 2. Definitions.—Unless the context otherwise requires,—
 - (a) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963);
 - (b) words and expressions used in these rules have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Fees payable.—Every Trustees of the Board other than the Chairman and also Deputy Chairman, where appointed, or any other Trustee who is a servant of the Government or servant of the Board, shall be entitled to a fee of—
- (i) rupees fifty for attendance of each ordinary or special meetings of the Board;
 - (ii) rupees thirty for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the Committee held on the same day in continuation of or preparatory to an ordinary or special meeting of the Board :

Provided that, the aggregate amount of fees payable to any Trustees in respect of the meetings of the Board and/or the Committees held duuring any calendar month shall not exceed rupees two hundred in the case of Calcutta and Bombay Ports and rupees one hundred and fifty in the case of other ports.

- Note: A Trustee present at or for any meeting of the Board of Committee thereof shall sign his name in a book or register to be kept for the purpose.
- 4. Payment of Travelling Allowance.—(1) All outstation Trustees other those who are servants of the Government or the servants of the Board, attending any meeting of the Board or of any of its Committee shall in addition to such as is payable under rule 3, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government.
- 2. All outstation Trustees, other than those who are servants of the Government or the servants of the Board attending any meeting of the Board or of any of its Committee shall, in addition to such fees as is payable under rule 3 and travelling allowance, also be entitled to receive daily allowance at the rate applicable to the highest class of officers of the Central Government for the period of journey performed to and from the place of Board or Committee meeting and Headquarters.

Note I. For the purpose of daily allowance, the period of journey by the shortest possible route and from the place of Board or Committee meeting and the Headquarters, shall be taken as the period of journey.

Note II. The Headquarters for the purpose of this rule shall be the normal place of residence of the Trustee.

- 5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government Servant or the servant of the Board.—A Trustee who is a servant of the Government or a servant of the Board and who attends any meeting of the Board or of any of its Committees shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.
- 6. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Not withstanding anything contained in rule 3 and 4, a Trustee who is also a ember of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualifications) Act, 1958 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification of membership of the State legislature, receive without incurring such disqualification.

- 7. Repeal & Savings.—On and from the date of publication of these rules the rules mentioned in the Scheduled annexed hereto are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action-taken-or-any order made or directions given under the said rules shall be deemed to have been done, taken, made or given as the case may be, under the corresponding provision of these rules.

SCHEDULE (See rule 7)

Sr. No.	Title of the rules repealed
017 1104	THE OF the Thies repended
· 1	2
1	2

- 1. Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964.
- 2. Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964.

2

- 3. Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967.
- Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
- Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
- Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
- 7. Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment
- of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979.

 8. Board of Trustees of the Port of New Mangalore (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules,

[PW|PGL-25]80] M. R. GATHWAL, Under Secy.

स्चना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, 4 जुन, 1981

सांकार्विक 627.—राष्ट्रपति, संविधान के प्रानुच्छेद 309 क परन्तुक द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान श्रीर दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "क" पद") भर्ती नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:---

- াল (ব) হ্ল-নিयमों का संक्षिप्त नाम विज्ञापन ग्रीर दृष्य प्रचार निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1981 है
- .(2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1971 की श्रनुसूची में क्रम संख्या 14 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान-पर निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थात:--

• • • •		•		. अनुसूच	î.		
पद का नीम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ंचयन पद श्रयवा स्रचयन पद	सीधे अती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	िसेवा में जोड़े गए व्वर्धीका फायदा केन्द्रीय सिविल	सीधे भर्ती े किए जाने व्याले व्यक्तियों के लिए गौक्षिक और अंग्य अर्हताएं
			*,************************************			सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	
1	2	3	4	5	6	6क	7
.1.4. वरिष्ठ कामी- राइटर	. ₹	तधारण केन्द्रीय वेचा, समूह "क", राजपत्नित	1500-60- 1800 रुपए	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पणी : आयु सीमा अव- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियो से (उनसे भिन्न जो अन्द- मान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) ग्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई ग्रंतिम तारीख होंगी।	• •	श्रावश्यक: (1) किसी मान्यताप्राप्त विध्व-विद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि। (2) किसी समाचारपत /नियत-कालिक पितका के विज्ञापन विभाग या किसी ख्यातिप्राप्त वाणिज्यक फर्म या सरकार के अधीन ऐसे ही किसी संगठन में प्यंवेकी हैसियत में भ्राठ वर्ष का अनुभव और सृजना-रमक लेखन में तीन वर्ष का अनुभव।
a e e e	: 			a a sa	· Marketon and the control of the co		टिप्पण: (1) झहुँताएं, अन्यथा सुर्आहित अभ्यथियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

	and the second s			1.00
	and the second of the second o	g (*) 6	· (4) (6年27.4	7-
	The second of th		: (0)	नुभव संबन्धी अहेता
No. No. 17 July 1990 Block Association (No.	e e e e e e e	artina de la compansión d La compansión de la compa		नुमय संज्ञाता अरुता इएएं) संघ लोक सेवा
		and the second section of the second	1.14.	
	Data Kelimer i kalandari Singan Satura			ग के विवेकानुसार अनु-
	and the second of the second o			ा जातियों और अनु-
	- 11 h . 2			जनजातियों के ग्रम्य-
		11120	and the second s	ं के मामले में उस दशा
				गथिल की जा संकती है
	AT Your Spirit	the state of the		जबकि चयन के किसी
during the transfer of the tra	. 11			्परःसघ लोक सेवा
称できる機能 おいっちょう AMTもCOLLAC		March Strategy to	्रोतकात्रकात्रकात्रकात्रकात्रकात्रकात्रकात्	गकी यह राय हो कि
***	a grant of the control of	٠.	िस्था असीना दिला साम्	लिए ग्रारक्षित रिक्त
	profession of	The first of the second		ं को भरने के लिए
		なり、大きの が の数 Pan in Can O		त ग्रनुभव रखने वाले
	***			समुदायों के श्रम्यर्थी
and the second of the second of the second	ta mariakan seba	n di la galanting da k		त संख्या में उपलब्ध
•				हो सकेंगे।
en e				_
		To display the selection	^{াট} ্টা চাওচাল (i) সং	बार श्रीर पत्नकारिता के
		e filt were st		का अनुभव ।
en lander al notine i la al material de la company de la c	and the second of the second o		(2) ਇ	न्दी का कार्यसाधक
			ार्ग विकास सान्।	l <u></u>
		मान्तरम् (याचा जार्यमा	American Company	क्या जाएगा
होगी या नहीं	वाली रिवितयों की प्रतिशतता			
होगी या नहीं 8 9	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10	111	12	13
होगी या नहीं	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	ा । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण-	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति-	13 प्रत्येक श्रवसर पर चयन
होगी या नहीं	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत ग्रल्प-	11 प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण- (जिसके ग्रन्तर्गत प्रल्पकालिक	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टि पर विचार करने के	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा श्रायोग
होगी या नहीं	वाली रिक्तियों की प्रतिमतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके	11 प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा-	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया
होगी या नहीं	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	11 प्रतिनियुक्ति पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति⊸ की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:–	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्था से किया जाएगा। इन नियमों
होगी या नहीं	वाली रिक्तियों की प्रतिमतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके	11 प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपत्रमों, अर्ध-	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्था से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को
होगी या नहीं	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	11 प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपभमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण संतालय	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्था से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल
होगी या नहीं 8 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्र	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संथिदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	11 प्रतिनियुन्ति पर स्थानात्सरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपत्रमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी—	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना श्रीर प्रसारण मंत्रालय—— मध्यक्ष	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग
होगी या नहीं 8 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्र	वाली रिक्तियों की प्रतिक्षतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी मर्ती द्वारा	11 प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध- सरकारों, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— ह) (1) जो सवृक्ष पद धारण	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोम्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय—— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं 8 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा	वाली रिक्तियों की प्रतिश्वतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	11 प्रतिनियुक्ति पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध- सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध- सरकारों, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— क) (1) जो सतृज पद धारण किए हैं ; या	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय—— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग
होगी या नहीं 8 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क	11 प्रतिनियुन्ति पर स्थानात्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध-सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (1) जो सवृश्व पद धारण किए हैं ; या (2) जिन्होंने 1100-1600	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय—— ग्रध्यक्ष 2. निवेणक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निवेशालय ——सदस्य	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं होता 9 सागू नहीं होता 2 वर्ष प्र	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क	11 प्रतिनियुक्ति पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध- सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध- सरकारों, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— क) (1) जो सतृज पद धारण किए हैं ; या	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय—— ग्रध्यक्ष 2. निवेणक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निवेशालय ——सदस्य	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं होता 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्र	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क	11 प्रतिनियुनित पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपजमों, अर्ध-सरकारों लोक उपजमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (1) जो सतृत्व पद धारण किए हैं; या (2) जिन्होंने 1100-1600 क्ष्म के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय—— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर दृष्य प्रचार निदेशालय ——सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं होता 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	11 प्रतिनियुनित पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपअमों, अर्ध-सरकारों लोक उपअमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (1) जो सतृत्र पद धारण किए हैं; या (2) जिन्होंने 1100-1600 क्पए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग —सदस्य	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं होता 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	11 प्रतिनियुनित पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपजमों, अर्ध-सरकारों लोक उपजमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (1) जो सतृत्व पद धारण किए हैं; या (2) जिन्होंने 1100-1600 क्ष्म के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग —सदस्य	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं निया 9	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क	11 प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— क) (1) जो सवृष्ट पद धारण किए हैं ; या (2) जिन्होंने 1100-1600 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है ; और	12 (सीधे भर्ती किए गए ज्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना श्रीर प्रसारण मंत्रालय—— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन श्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय ——सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग ——सदस्य	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं की 9 सागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा प्रा राज्य के स्वरंग की स्वरंग	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (क	11 प्रतिनियुन्ति पर स्थानात्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध-सरकारों लोक उपक्रमों, अर्ध-सरकारों के ऐसे अधिकारी— ह) (1) जो सवृष्ट पद धारण किए हैं; या (2) जिन्होंने 1100-1600 रुपए के या समतुल्य वेतनमान चाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय— ग्रध्यक्ष 2. निवेणक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निवेणालय —सदस्य 3. निवेणक, प्रजासन प्रभाग —सदस्य टिप्पण: पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं की 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा सागू नहीं होता के स्व सागू नहीं होता के सम्ब सागू	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी मर्ती द्वारा (क	11 प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसने अन्तर्गत अल्पनानिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपजमों, अर्ध-सरकारों लोक उपजमों, अर्ध-सरकारों, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— क) (1) जो सवृत्र पद धारण किए हैं ; या (2) जिन्होंने 1100-1600 रुपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की हैं ; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधि-	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंतालय—— यध्यक्ष 2. निरेणक, विज्ञापन ग्रीर दृष्य प्रचार निरेणालय ——सवस्य 3. निरेणक, प्रजासन प्रभाग ——सवस्य टिप्पण: पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, ग्रायोग	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं निर्माण के अपने के प्राप्त नहीं होता 2 वर्ष प्राप्त निर्माण के प्राप्त निर्म	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रन्थ- कालिक संथिदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (व	प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपअमों, अर्ध-सरकारों लोक उपअमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— क) (1) जो सतुज्ञ पद धारण किए हैं ; या (2) जिन्होंने 1100-1600 क्पए के या समतुल्य वेतनमान वाले पद्यों पर 5 वर्ष की सेवा की है ; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधि-कवित प्रकार की धहैताएं और अनुभव है।	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, ग्रायोग के मनुमोदनार्य भेजी	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं निर्माण कर के अपने कर	वाली रिक्तियों की प्रतिकातता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्प- कालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी मर्ती द्वारा (क	प्रितिनयुनित पर स्थानात्नारण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):—— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपअमों, अर्ध-सरकारों लोक उपअमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (1) जो सतृत्व पद धारण किए हैं; या (2) जिन्होंने 1100-1600 क्षण के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले ब्यक्तियों के लिए अधि-कवित प्रकार की आईताएं और	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर दृष्य प्रचार निदेशालय ——सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग ——सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोव्यति समिति की कार्यवाहियां, ग्रायोग के ग्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि ग्रायोग इनका ग्रनुमोदन नहीं करता है तो, विभा-	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं की 9 सागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा सागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा सागू नहीं होता 2 वर्ष प्रा सागू नहीं होता 2 वर्ष प्र सागू नहीं होता के स्व सागू नहीं होता के सम्ब सागू नहीं होता के सम्व सागू नहीं होता के सम्ब सागू नहीं हो	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रन्थ- कालिक संथिदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (व	प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (2) जिन्होंने 1100-1600 कपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए आधिकारों के लिए अधिकारों के लिए अधिका	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना श्रीर प्रसारण मंत्रालय— गध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, श्रायोग के अनुमोदनार्य भेजी जाएंगी । किन्तु यदि ग्रायोग इनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो, विभा- गीय प्रोन्नति समिति की	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
होगी या नहीं निया 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष प्राप्त कर के कि	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रन्थ- कालिक संथिदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (व	प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (2) जिन्होंने 1100-1600 कपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए आधिकारों के लिए अधिकारों के लिए अधिका	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना श्रीर प्रसारण मंत्नालय— गध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, श्रायोग के अनुमोदनार्य भेजी जाएंगी । किन्तु यदि ग्रायोग इनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो, विभा- गीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
8 9	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रन्थ- कालिक संथिदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (व	प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (2) जिन्होंने 1100-1600 कपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए आधिकारों के लिए अधिकारों के लिए अधिका	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना ग्रीर प्रसारण मंत्रालय— ग्रध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पुष्य प्रचार निदेशालय — सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग — सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, ग्रायोग के मनुमोदनार्य भेजी जाएंगी ! किन्सु यदि ग्रायोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभा- गीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा ग्रायोग के ग्रध्यक्ष या	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थे से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थे आवश्यक
8 9 लागू नहीं होता 2 वर्ष	वाली रिक्तियों की प्रतिक्रतता 10 तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके श्रन्तर्गत श्रन्थ- कालिक संथिदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (व	प्रतिनियुनित पर स्थानान्तरण- (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):— (1) केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारों लोक उपनमों, अर्ध-सरकारी, स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी— (2) जिन्होंने 1100-1600 कपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा की है; और जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए आधिकारों के लिए अधिकारों के लिए अधिका	12 (सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति— की पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभा- गीय प्रोन्नति समिति:— 1. संयुक्त सचिव, सूचना श्रीर प्रसारण मंत्नालय— गध्यक्ष 2. निदेशक, विज्ञापन ग्रीर पृष्य प्रचार निदेशालय —सदस्य 3. निदेशक, प्रकाशन प्रभाग —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, श्रायोग के अनुमोदनार्य भेजी जाएंगी । किन्तु यदि ग्रायोग इनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो, विभा- गीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा	13 प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्थ से किया जाएगा। इन नियमों के किसी उपवन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय भी आयोग से परामर्थ आवश्यक

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING New Delhi, the 4th June, 1981

G.S.R. 627.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (i) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'A' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1971, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :-

COMPANIE

Est.			SCHEDUL	E		
Name of the post No. of posts		Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post		benefit of added years of sorvice admissible under rule	Educational and other qualifications required for direct recruits
		1. 	-		C.C.S.	
200 (1) 1 (2)	3	. 4	5	6	6(a)	7
Writer.	General Central Service Group 'A' Gazetted.	60-1800.	applicable	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government servants).	No.	Essential: (i) M.A. in English from a recognised University.
	en en falle (in en	of the second of		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).		(ii) 8 years experience in a supervisory capacity in advertising department of a newspaper/periodical or a commercial firm of repute or a similar organisations. Under Government and possessing 3 years experience in creative writing. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P. S.C. in case of candi-
	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH					dates otherwise well qualified. Note 2: The qualifi-
tall and March 1931	one Syma Kabatan	i de la proposición dela proposición de la proposición de la proposición de la proposición de la proposición dela proposición de la proposición de la proposición dela proposición de la proposición de la proposición de la proposición dela proposición de la proposic	5. 5		r 	cation(s) regarding ex- perionce is/are relax- able at the discretion of the UPSC in the
enger and the great field of the control of the con			-			castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the
					: 	opinion that suffi- cient number of candi- dates from these
, 112 x 3 × 12		ालाम् । हिंदी	•	E TO STATE OF THE		ing the requisite

	PART	II-"SEC.	3(i)
--	------	----------	------

		and the second second					
		A THE TA TYN THE	-TTTT T7 T7	4 1001	/ A C A T T T A	12	1002
THE	CAZETTE	THE INITIAL	• H H Y	4- IYAI	/ADADHA	13.	1203
1111	CHARLE	OF INDIA	ر دوسید د	.,~	,		

bed for direct recruits will apply in the case of promotees 8 9 10 11 12 13 Not applicable 2 years Bytransfer on deputation (including short-term cluding short-term contract): — Departmental Promotion contract) failing which by direct recruitment takings, Semi-Goyt. Autonomous; or Statutory, Or. 1. Joint Sportary, Ointing anisations. (a) (i) holding analogous posts or (ii) with 5 years service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract) and promotion of a direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract) alligned with Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion on shall be made sidering—confirmation. in. consultation of a direct recruit): with, the. Uraion of a direct recruit): with, the. Uraion of the public. Service of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract) shall ordinarily not exceed 4 years).	_1564	THE	GAZET	TE OF INDIA	: JULY 4, 1981/ASADHA 1	3, 1903	[PART II—Sec. 3(i)]
Transfer on deputation (Induding short-term cluding short-term contract): Not applicable 2 years By transfer ondeputation (Induding short-term cluding short-t	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1. 1. 44 cm. se re		-6(a)	7
educational qualifications preserved if any percentages and percentages deputation/transfer to be filled by various methods 8 9 10 11 12 13 Not applicable 2 years Bytransfer ondeputation (including short-term cluding short-term contract) failing which by direct recruitment:		ar 1 1					reserved for thema: Desirable. (i) Experience, of publicity; and journalistic work; (ii) Working knowledge
Not applicable 2 years Bytrausfer ondeputation (including short-term cluding short-term contract): - contract) failing which by direct recruitment:	educational quali- fications preseri- bed for direct re- cruits will apply in the case of	probation if any	ther promo trans of th	by direct arectt; or otion or by deputat after and percent the vacancies to	tion/deputation/transfer, gration/ desertrom; which promotion tages: deputation/transfer to be madeze	t- its composi /	ition in which UP- SC is to be consulted in
(including short-term cluding short-term contract): Departmental Promotion—each—occasion contract) failing which 1. Officers from the Central/ State-Govts. Public Understakings, Semi-Goyt. Auto—of a direct recruit): with the Union nomous; or Statutory Or. 1. Joint Secretary, Minispanisations. (a) (i) holding analogous posts or ganisations. (a) (i) holding analogous posts or posts or posts or posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years). (ii) vith 5 years service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years). (iii) vith 5 years service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equivalent; and (b) possessing the educations and experience of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years).	8	9		10	11	12	13
[No. A-12026/4/76-Est/DS(I		<u> </u>		direct recruitment	state-Govts-Public-Under- takings _t -Semi-Govt. Auto- nomous or Statutory Or- ganisations. (a) (i) holding analogous posts or (ii) with 5 years service in posts in the scale of Rs.1100-1600 or equiva- lent; and (b) possessing the educa- tional qualifications and experience of the type laid down for direct recruits under Column 7. (Period of deputation/con- tract shall ordinarily not exceed 4 years).	sidering_col of a direct re 1. Joint Secreti stry of T& E 2. Director, D ber. Note: The pro the DPC confirmation sent to the Co for approve however, the approved by mission, a f ing of the De Promotion (to be preside the Chairm Member of shall be held	nfirmation in consultation with the Union ary, Mini-Public; Service B-Chairman Commission D.A.P.V.—Consultation with CompD-Mommission is altereding of amending/relax ing any of the shall be provision of ommission these rules. If, see are not to the Commission t

्प्रदर्शः अधिकारोंःकाः त्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959*भें ग्रीरें संगोधन करने के लिए एतद्दारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

् ी. (1) इन नियमीं को केन्द्रीय सूचना सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1981 कहा जाएगा।

শ্বাতকাতনিত 217 (सी०ग्राई०एस०) दिनांक 16 फरवरी, 1959 🖣 ग्रन्तर्गत ग्रधिसूचित। बाद में इन नियमों के 80 संशोधन ग्रधिसूचित किए। गए थे। और इसलिए फुट नोट में सभी संशोधनों के राजपत्र संदर्भ कामिल करना दुर्वह है।

- 2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में:---
- (क) नियम 6 में, खंड(घ) के उपखंड (2) के स्थान पर निम्न-लिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, ग्रर्थात्:--"(2) भर्ती

इस ग्रेड में सभी रिक्तियां ग्रेड-2 में डयूटी पदों को धारण करने वाले अधिकारियों में से विभागीय पदोश्चित समिति की सिफारिशों पर प्रवरता योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी";

(ख) ध्रनुसूची 8 में, खंड 3 को लुप्त कर दिया जायेगा। ---[फ़ाइल सं॰ ए--42012/5/78-सी॰ग्राई॰एस०-संशोधन सं॰--81]

New Delhi, the 8th June, 1981

- G.S.R. 628.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959,* namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Central Information . Service (Second Amendment) Rules, 1981.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Central Information Service Rules, 1959;-
 - (a) in rule 6, for sub-clause (ii) of clause (D), the following sub-clause shall be substituted, namely
 - ·"(ii) Recruitment
 - All the vacancies in this grade shall be filled by promotion on the basis of seniority-cum-fitness on the recommendations of the Departmental Promotion Committee from amongst officers holding duty posts in Grade II";
 - (b) in Schedule VIII, clause 3 shall be omitted.

[F. No. A-42012/5/78-CIS Amendment No. 81]

*Notified under G.S.R. 217 (CIS) dated the 16th February, 1959. Subsequently eighty amendments to these rules were notified and, as such, it is unwieldy to include the Gazette reference of all the amendments in the foot-note.

नई दिल्ली, 18 जून, 1981

सां का नि 629. केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् श्रिधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेस परिषद् नियम, 1979 का निम्नलिखित संशोधन करती है, श्रिथां —

- 1. (i) इतः नियमों का नाम-प्रेस्-परिषद् (संशोधन) প্ৰিথদ্ধ 1.981 হ
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. प्रेस परिषद् नियम, 1979 में,

- ((i) नियमः 4 कोः उसकेः उपनियमः (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।
- (ii) इसः प्रकाररपुनःसंख्यांकितः उपनियमः (1) मेरं ''75 रु० प्रति-दित की 'दर' सेर्व्देनिक भसार्' फ्रांकों ग्रीरशाब्दों के स्थान परः ''नब्बे रुपए प्रतिदिन की दर-से-सर्वसमायेशी दैनिक भसा'' गब्द-रखे जाएंगे ।
- (iii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम ग्रंतःस्थापित किया जाएगा, ग्रंथांतुः--
- ,"(2) परिषद् के वे सदस्य जो परिषद् का स्थानीय कार्य करते हैं, अधिक से अधिक तीस रुपए- प्रतिदिन तक वाहन/भाड़ा-प्रभार के हकदार होंगे।"

ि[फा॰सं॰ 4/2/78---प्रेस]

पी० के० जलाली, प्रवर सचित्र

New Delhi, the 18th June, 1981

- G.S.R. 629.—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby makes the following amendments to the Press Council Rules, 1979, namely:—
- 1. (i) These rules may be called Press Council. (Amendment) Rules, 1981.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Press Council Rules, 1979,
 - (i) rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof;
 - (ii) in sub-rule (1) so re-numbered, for the words "a daily allowance at the rate of rupees seventy five per day" the words "an all-inclusive daily allowance at the rate of rupees ninty per day," shall be substituted;
 - (iii) after sub-rule (1) the following shall be inserted, namely:—
 - "(2) Those members of the Council who attend to the work; of Gouncil locally, shall be entitled repto conveyance/hire charges upto a maximum of rupees thirty per day."

[F. No. 4/2/78-Press]

P. K. JALALI, Under-Secy.

पुति और पुनर्वास संलालय

(पुनर्वास विभाग)

सा का विभाग) के ग्रंधीन विस्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा प्रधिकारी, दण्डकारणय विकास प्रधिकरण के कार्यालय में प्रभिनेखाराल के पद पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करते हुए निम्नेलिखित नियम बनाते हैं, ग्रंथीत की

- 1- संक्षिप्त नामः श्रीरः शारस्थः (1) ये नियम, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के कार्यालय में श्रभिन् लेखापाल भर्ती नियम, 1981 कहलाएंगे
 - (2) ये सरकारी राजपत में प्रकाशित होते, की तारीखा को लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्याां वर्गीकरण और वेतनमान पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिए गए हैं।
 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं आदि:—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं और इससे संबन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में दी-गई हैं।
 - 4. ग्रयोग्यताएं:--कोई व्यक्ति:--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो या
 - ः (ख)ः जिसने पति या पत्नी के जीवीत रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, ाउच्यतः पदः परः नियुक्तिः का पान्न नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

- 5. रियायत देने की मिनतः—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या भावस्थक है तो वह लिखित कारणों के ब्राधार पर आवेग देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है।
- 6. उपवाद :--इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये आदेशों के आधार पर किये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

		~	enser on rights.			0.0	, 		
पदकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन		चयन पद है अथवा गैर	सीबी भर्ती के लिए श्रायु सीमा			िवाले उम्मीदवारी के क्षित शैक्षिक योग्यताएँ
		roll roll			चयन पद	iw The Jan in which im is in ill graft 与 i	(पेंशन) नियमा- ंबली, 1972 के नियम 30:		11. (17.00 10. (17.00 10. (18.1)
			particular (a) No. 13 (13) Didden (A) San (A) (13)	Maria (12) San Gara Bertana	in the second	Spain Pan Dominan Co Pol Amerika (1988)	of ord where		
1	2	3		4 2 10 1	5	6	7		10 - 18 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ग भिलेखा पाल	एक* *कार्यभार		290-T		चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		जागू नहीं होता
a aza eta eta eta eta eta eta eta eta eta et		ग्र राजपत्नित		0		The state of the state of			: 13 °-
	पर इसम ग्रंतर हो	प्रलिपिकवर्गी	и. - 51 и "Ди	rolli Tali		at the state of	1 12 Fg	ं व ्	(x,y) = (x,y) = (x,y)
1987 10 000									1 (.77 7)
म्मीदवारों के लिए त [ं] की गई ग्रायु या <u>ः</u> ग्रीक्षक योग	निर्धा- ग्रवी सीमा ग्यताएं	ध या <u>द्वा</u> र जा	िकी विधिसीर्ध प्रतिनियुक्ति या पा तथा विभिन्त ने वाली रिभित	ो भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	ा ुस्थानान्त ारी तोवे	न्नति, प्रतिनियुक्ति या तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या तरण किया जाना है	समिति हो तो उसकी क्या है	संर च ना	भर्ती के लिए संघ लोक
म्मीदवारों के लिए रत की गई श्रायु था: शैक्षिक श्रोय बोझति पाने वाले गिरयों के मामले मे	ते परिव निर्धा- ग्रवा सीमा ग्यताएं वर्म- ः	ध या <u>द्वा</u> र जा	िकी विधिसीर्ध प्रतिनियुक्ति या रा तथा विभिन्न	ो भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	ा ुस्थानान्त ारी तोवे	तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या	समिति हो तो उसकी क्या है	संरचना इत्यक्ति	•
म्मीदनारों के लिए रत की गई श्रीयु आ पी पीक्षक श्रीय बोझित पाने बाले गिरुयों के मामले मे	ते परिव निर्धा- अर्वा सीमा व्यताएं कर्म- 2	ध या <u>द्वा</u> र जा	िकी विधिसीर्ध प्रतिनियुक्ति या रा तथा विभिन्न	ो भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	ा ुस्थानान्त ारी तोवे	तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या	समिति हो तो उसकी क्या है	संरचना - १५३ - १५३ - १५३	भर्ती के लिए संघ लोव सेवा आयोग का परा
ागू नहीं होता	ते परिव निर्धा- अर्वा सीमा व्यताएं कर्म- ः गंलागू	ध या ्द्वा जा	िकी विधिसीर्ध प्रतिनियुक्ति या रासया विभिन्न ने वाली रिक्ति	ो भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	ा स्थानान्त् री तो बे त स्थानान्त् प्यान ग्रें प्यान ग्रें दफ्त	तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या तरण किया जाना है	समिति हो तो उसकी क्या है 13 समूह 'ग' विभागीय समिति जिसका गठन	संरचना १.३ पदोक्षति (. निम्मां-	भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परा मर्फ लिया जाना है
हमीदनारों के लिए रत की गई स्रायु आ शिक्षक योग बोझित पाने बाले तिरयों के मामले के गि	ते परिव निर्धा- अर्वा सीमा व्यताएं कर्म- गे लागू	ध या ह्या जा 10	िकी विधि सीर्ध प्रतितियुक्ति या पो तथा विभिन्त ने वाली रिक्ति	े भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	ा स्थानान्त् रित तो बे त स्थानान्त् चयन ग्रे दफ्त योग्य (क) १ (सा	तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या तरण किया जाना है 12 इ तथा सामान्य ग्रेड के री जिनकी निम्नेलिखित तताए हों————————————————————————————————————	समिति हो तो उसकी क्या है समूह 'ग' विभागीय समिति जिसका गठन कित होगा:— (1) निदेशक (व मशीनरी)— (2) उप वित्तीय	पदोक्षति (निस्नां- परिवहन -अध्यक्ष सलाहकार	भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परा मर्फ लिया जाना है 14 लागू नहीं होता
हमीदवारों के लिए रत की गई श्रायु श्रा- शैक्षिक योग दोझित पाने बाले गरियों के मामले में गि	ते परिव निर्धा- ग्रवी सीमा ग्यताएं कर्म- ग्रे लाग्	ध या द्वा जा 10 पं पदो	िकी विधिसीर्ध प्रतिनियुक्ति या रास्या विभिन्न ने वाली रिक्ति	े भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	ा स्थानान्त् री तो वे त स्थानान्त् चयन ग्रे दफ्त योग्य (क) श (सा रूप वे सेवा के रू	तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या तरण किया जाना है 12 इ तथा सामान्य ग्रेड के री जिनकी निम्नेलिखित तताए हों:————————————————————————————————————	समिति हो तो उसकी क्या है समूह 'ग' विभागीय समिति जिसका गठन कित होगा:— (1) निदेशक (व मशीनरी)— (2) उप वित्तीय पूर्व मुख्य लेखा ह	पदोश्चित (निस्नां- परिवहन -अध्यक्ष सलाहकार (धिकारो सदस्य	भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परा मर्फ लिया जाता है 14 लागू नहीं होता
उन्मीदवारों के लिए रत की गई श्रायु त्याः शैक्षिक योग दोन्नित पाने वाले निर्देशों के मामले मे तेगी 9	ते परिव निर्धा- ग्रवी सीमा ग्यताएं कर्म- ग्रे लाग्	ध या द्वा जा 10 पं पदो	िकी विधिसीर्ध प्रतिनियुक्ति या रास्या विभिन्न ने वाली रिक्ति	े भर्ती द्वारा, स्थानान्तरण विधियों से भ	प्यानान्त् री तो बे त स्थानान्त् चयन ग्रें दपता योग्य (क) श (सा रूप ग्रें संघा के स्थ	तरण द्वारा भर्ती होनी हो ग्रेड जिनसे पदोन्नति या तरण किया जाना है 12 ह तथा सामान्य ग्रेड के री जिनकी निम्नलिखित ताए हों—— प्रिनवार्य : मिडिल पास मान्य ग्रेड) में दपतरी के में कम से कम पांच वर्ष की या (चयन ग्रेड) में दपतरी पा में कम से कम चार वर्ष	समिति हो तो उसकी क्या है समूह 'ग' विभागीय समिति जिसका गठन कित होगा:— (1) निदेशक (व मशीनरी)— (2) उप वित्तीय पूर्व मुख्य लेखा ह	पदोश्चित पदोश्चित निम्नां- परिवहन -अध्यक्ष सलाहकार धिकारी सदस्य स्तीय वा वेतन	भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परा मर्फ लिया जाता है 14 लागू नहीं होता

्रिक्त 11(1)/81-प्रशासन-III

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION . (Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 19th June 1981

G.S.R. 630.—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Record Keeper in the Office of the Financial Adviser and the Chief Accounts Officer in Dandakaranya Development Authority under the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation),

- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Record Keeper in the Office of the Financial Adviser and the Chief Accounts Officer, Dandakaranaya Develonpment Authority, Recruitment Rules, 1981
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit,

,

qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 to the Schedule aforesaid.

- 4. Disqualification.—No person.—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has en contracted a marriage with any person. living, has entered into or

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to Relax.-Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax, any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reserva-tions, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or	Age limit i	for dire	benefit of	cations	ional qualifi-
Tank and Area	Ä.	in Albania (Albania)	The The MAN	non-selec- tion post		9. A	added yea of service _admissible	e. • •	recruits
			·运动性量	-		,- ,-	under rule 30 of the		المستواجع وأنساهم
$\nabla_{\mathcal{C}} = \left(1 + \frac{1}{f_{ij}}\right)$	37 - 1535 28 - 1535	in the state of the second	1. 11. 1				Central C Service		المناهم والمنا
í	25. 455		· ·				(Pension) Rules, 197		of Ast ol ey of the second of
•1.	2	3	4	5	6		7		8
	to vari- ation de-	Service Group 'C' Non-gazette Ministerial.	d EB-308.	94				r .	
	on work load				2002 1903 - 1904 1904 - 1905 1904 - 1905			e ta int Le la ar Billion	identia Borton III (1905)
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period o	of Method of n, ther by direc or by or by	rectt. whe- t recruitment promotion deputation/ percentage ncies to be	In case of tion/deput grade from	f rectt. by pro- ation/transfer n which prom- er to be ma	omo- li	IC - Ping	1.10	Circumstances in which UPSC is to be consulted inmaking recruitment
educational quali- fications prescri- bed for direct re- cruits will apply in the case of pro-	Period o	of Method of n, ther by direc or by or by transfer and of the vaca	rectt. whe- trecruitment promotion deputation/ percentage ncies to be ous methods	In case of tion/deput grade from	f rectt. by pro- ation/transfer which prom	omo- li	IC - Ping	1.10	in which UPSC is to be consulted inmak- ing recruitment

. 14

eHindi.

1212-2

13

Financial service of six years on re- 2. Deputy gular basis as Daftry for and we Chief-Accounts Officerwith dinary grade) or minimum service of four Member. years on regular basis as 3. Assistant. Financial: Daftry (Selection Grade) -- Adviser or Pay and Accounts Officer. B. Desirable:... Capable of handling routine - Member: clerical jobs in English and

> [No. 11(1)/81—Admn. III] S. L. MEDIRATTA, Dy Secy

े विस्त भेत्रालय*े* (राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 जलाई, 1981.

सं 135/81 केंद्रीय उत्पादशुल्क

सा का नि 631 - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उल्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 49 के उपनियम नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचनाः सं 266/67-केन्द्रीय उत्पाद शुल्का, तारीख 28 नवम्बर, 1967 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के खण्ड (1) की मद (यय) के पक्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

''(ग्रंबब्ध) पीरवाड़ी'

[फॉ ेस े 261/11क/4/81-सी एक्स 8]

एस. डी. खरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE. (Department of Revenue)

New Delhi, the 4th July, 1981

NO.—135|81—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 631.—In exercise of the powers conferred by subrule (2) of rule 49, and rule 139, of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment—in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 266/67-Central Excises, dated the 28th November, 1967, namely :—

In clause (i) of paragraph 2 of the said notification, after item (zz), the following item shall be inserted, namely :—

 \mathbb{R}^{n}

n Carrette

"(zza) Pirwadi."

[F. No. 261/11A/4/81-CX.8] S. D. KHARE, Under Secy.

शक्तिभ्रम्पत्र 🚟 💛

्र्नेई^३दिल्ली हे ४ जुलाई है 1981

ं का एक का रिवर्टिक 632 र भारत के राजपंत्र के भागे रे2 हैं खेड े3, उपखंड (1) तारीख़ 4 अक्तूबर, 1980 के पुष्ठ 2137-40 पर प्रकाशित भारत सरकार के बित्त अंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिस्चना सं. 150/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सा. का. नि. सं ः 1020), तारीखं 4 अक्तूबर, 1980 में ,−

पुष्ठ 2138 पुर - १ ११०० १० १८३

- पंक्ति 31 में ''48,65'' के स्थान पर ''48'' पढ़े;
- (2) नीचे से तीसरी पंक्ति के सामले, पार्कि में ''बी-4''

पुष्ठ 2139 पर -

(3) पंक्ति 12 के सामने, पाइर्व में, "बी-1 पढ़ें।

[अधि.सं. 134/81-के. उ. शू./फा. सं 214/1/78-सी एक्स-6]

ड़ि महता, अवर सचिव

CORRIGENDUM New Delhi, the 4th July, 1981

G.S.R. 632.—In notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 150/80-Central Excise (G.S.R.) No. 110/80 dated the 4th October, 1980 published at pages 2140, 43 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th October, 1980:—

at page 2142-

- (i) Hine 6, for "48; 65;" cread "48;"
- (ii) against lines 17 and 18, read "B. 4" in the margin; (iii) againstaines 29 and 30, read "B. 1" in the margin.

Notification No. 134/81-C.E. F. No. 214/1/78-CX.6]

D MEHTA Under Secy.